

[2023] 3 एस.सी.आर. 714

ताजवीर सिंह सोढ़ी और अन्य

बनाम

जम्मू और कश्मीर राज्य और अन्य

(सिविल अपील संख्या 2164-2172 वर्ष 2023)

28 मार्च, 2023

[के. एम. जोसेफ और बी. वी. नागरत्ना, न्यायाधीश]

*सेवा कानून: चयन प्रक्रिया - रद्द करना - ड्रग इंस्पेक्टरों की नियुक्ति के लिए आयोजित
चयन प्रक्रिया - 64 व्यक्ति*

जिनमें कुछ अपीलकर्ता भी शामिल हैं जो कि ड्रग इंस्पेक्टर के रूप में चयनित और नियुक्त किए गए हैं और उक्त पदों पर कार्यरत हैं - हालांकि, चयन प्रक्रिया में अनियमितताओं का आरोप लगाते हुए उक्त चयन और नियुक्ति को चुनौती दी गई - उच्च न्यायालय ने चयन और नियुक्ति को रद्द कर दिया - जो कि खंडपीठ द्वारा बरकरार रखा गया - अपील पर, यह माना गया कि उम्मीदवारों ने बिना किसी आपत्ति या विरोध के चयन प्रक्रिया में भाग लिया था और

असफल घोषित होने के बाद इसे चुनौती नहीं दे सकता - उम्मीदवार एक ही समय में स्वीकृति और अस्वीकृति दोनों नहीं कर सकते - केवल इसलिए कि चयन प्रक्रिया का परिणाम किसी उम्मीदवार को पसंद नहीं आया, वह यह आरोप नहीं लगा सकते कि साक्षात्कार प्रक्रिया अनुचित थी या प्रक्रिया में कोई खामी थी -

छूट और सहमति के सिद्धांत के आलोक में चुनौती पर विचार नहीं किया जाना चाहिए था - इसके अलावा, चयन

प्रक्रिया में कोई दुर्भावना या मनमानी नहीं पाई गई - चयन मानदंडों का पुनर्गठन केवल उम्मीदवारों की संबंधित शैक्षणिक योग्यता के लिए अंकों के आवंटन के संबंध में था - यह चयन प्रक्रिया के मानकों को बनाए रखने के उद्देश्य से किया गया था - इसके अलावा,

चयन समिति/ साक्षात्कार बोर्ड के समक्ष उपस्थित उम्मीदवारों के प्रदर्शन का आकलन और मूल्यांकन समिति के सदस्यों पर छोड़ देना ही सर्वोत्तम है - अपनाई गई प्रासंगिक चयन प्रक्रिया के आलोक में, न्यायालय यह मानने में असमर्थ है कि यह यांत्रिक या आकस्मिक थी या इसमें इतनी गंभीर या मनमानी अनियमितताएं थीं कि पूरी चयन प्रक्रिया को रद्द करना उचित ठहराया जा सके।

अतः उच्च न्यायालय द्वारा संपूर्ण चयन प्रक्रिया को रद्द करना और निरस्त करना उचित नहीं था, विशेषकर तब जब अपीलकर्ताओं सहित चौंसठ उम्मीदवार उक्त पद पर एक दशक से अधिक समय से कार्यरत थे - जम्मू और कश्मीर अधीनस्थ सेवा भर्ती नियम, 1992 - नियम 9 और 9ए

714

सार्वजनिक रोजगार के लिए चयन प्रक्रिया- न्यायिक समीक्षा का दायरा- निर्णय: न्यायालय सामान्यतः सार्वजनिक रोजगार की चयन प्रक्रिया में हस्तक्षेप करने से बचते हैं, ताकि चयन प्रक्रिया की स्वायत्तता और अखंडता बनी रहे - चयन प्रक्रिया में उच्च स्तर की विशेषज्ञता और विवेक शामिल होता है - न्यायालयों के लिए चयन समिति के निर्णय के स्थान पर अपना निर्णय देना उचित नहीं है - न्यायालय

केवल तभी हस्तक्षेप करते हैं जब कदाचार या वैधानिक नियमों के उल्लंघन, या अंतर्निहित मनमानी के सिद्ध आरोप हों।

शब्द और वाक्यांश: 'फार्माकोलॉजी' और 'फार्मसी' - अर्थ - चर्चा की गई।

अपीलों को स्वीकार करते हुए न्यायालय ने निर्णय दिया:

1.1 न्यायालय सामान्यतः सार्वजनिक रोजगार की चयन प्रक्रिया में हस्तक्षेप करने से बचते हैं, क्योंकि वे चयन प्रक्रिया की स्वायत्तता और निष्पक्षता बनाए रखने के महत्व को समझते हैं। न्यायालय यह मानते हैं कि चयन प्रक्रिया में उच्च स्तर की विशेषज्ञता और विवेक शामिल होता है और यह उचित नहीं है कि न्यायालय चयन समिति के निर्णय के स्थान पर अपना निर्णय दें। यदि न्यायालय चयन बोर्ड के विशेषज्ञों के निर्णय की समीक्षा करने का प्रयास करे तो यह वास्तव में जोखिम भरा कार्य होगा। इसलिए, न्यायिक समीक्षा की शक्ति का प्रयोग करते हुए, न्यायालयों के अधिकार क्षेत्र में चयन प्रक्रिया के गुण-दोषों की जांच करना नहीं है, यह कार्य चयन समिति का विशेषाधिकार है और उसकी विशेषज्ञता के अंतर्गत आता है, बशर्ते कि यदि कदाचार या वैधानिक नियमों के उल्लंघन के आरोप सिद्ध हों, तो केवल ऐसे मामलों में ही न्यायालय हस्तक्षेप कर सकते हैं जिनमें अपकृत्य अंतर्निहित हो। अतः, न्यायिक समीक्षा की शक्ति का प्रयोग करते हुए न्यायालय चयन समिति का स्थान नहीं ले सकते या यह जाँचने के लिए अपीलीय भूमिका नहीं निभा सकते कि चयन समिति द्वारा मौखिक परीक्षा में दिए गए अंक अत्यधिक हैं और परीक्षा में उनके प्रदर्शन के अनुरूप नहीं हैं। चयन समिति/ साक्षात्कार बोर्ड के समक्ष उपस्थित उम्मीदवारों के प्रदर्शन का आकलन और मूल्यांकन समिति के सदस्यों पर छोड़ देना ही सर्वोत्तम है। एक उचित रूप से ध्वनि चयन प्रक्रिया के बाद लिए गए निर्णय के खिलाफ अपील में बैठने की स्थिति में न्यायालय की स्थिति के प्रकाश में, निम्नलिखित आधार जो लेख याचिकाकर्ताओं द्वारा उठाए गए हैं, जो उम्मीदवारों की उपयुक्तता का आकलन करने में चयन बोर्ड/ इंटरव्यू पैनल द्वारा नियोजित व्यक्तिपरक मानदंडों के हमले पर आधारित हैं, अर्थात्, कि जिन्होंने अपनी स्नातकोत्तर की है उन्हें 10 अंक दिए गए थे और वाइवा-वोसे में, ऐसे पीजी उम्मीदवारों को 20 में से 18 अंक या 20 अंक दिए गए थे; और यद्यपि लेख याचिकाकर्ताओं ने साक्षात्कार में असामान्य रूप से अच्छा प्रदर्शन किया था, अधिकारियों ने चयन प्रक्रिया को पूरा करते समय मनमाने तरीके से कार्य किया था, मान्य नहीं होगा। [पैरा 12, 12.1] [748-सी-डी; 750-जीएच; 751ए-सी]

1.2 इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए कि न्यायालय एक उचित चयन प्रक्रिया के अनुसार लिए गए निर्णय के विरुद्ध अपील नहीं कर सकता, याचिकाकर्ताओं द्वारा उठाए गए

निम्नलिखित आधार, जो चयन समिति द्वारा अपनाए गए व्यक्तिपरक मानदंडों पर आधारित हैं, खारिज किए जा सकते हैं।

1.2. यह सर्वविदित है कि जो उम्मीदवार बिना किसी आपत्ति या विरोध के चयन प्रक्रिया में भाग ले चुके हैं, वे असफल घोषित होने के बाद इसे चुनौती नहीं दे सकते।

उम्मीदवार एक ही समय में स्वीकृति और अस्वीकृति दोनों नहीं कर सकते। दूसरे शब्दों में, केवल इसलिए कि चयन प्रक्रिया का परिणाम किसी उम्मीदवार को पसंद नहीं आया, वह यह आरोप नहीं लगा सकता कि साक्षात्कार प्रक्रिया अनुचित थी या प्रक्रिया में कोई खामी थी। इस प्रकार, इन मामलों में याचिकाकर्ता किसी न्यायालय के समक्ष चयन मानदंडों को पुनर्निर्धारित करने के औचित्य पर प्रश्न नहीं उठा सकते थे, क्योंकि उन्होंने मानदंडों के पुनर्निर्धारित होने के बाद भी स्वेच्छा से चयन प्रक्रिया में भाग लिया था। संशोधित मानदंडों के आलोक में उनकी उम्मीदवारी वापस नहीं ली गई थी। इसे चुनौती तभी दी गई जब उन्हें चयन प्रक्रिया में असफल घोषित कर दिया गया था।

इस स्तर पर, छूट और सहमति के सिद्धांत के आलोक में चुनौती पर विचार नहीं किया जाना चाहिए था।

छूट के नियम का एकमात्र अपवाद चयन बोर्ड की ओर से दुर्भावना का अस्तित्व है। इस मामले में, चयन प्रक्रिया में कोई दुर्भावना या मनमानी नहीं पाई गई है, इसलिए उक्त अपवाद लागू नहीं किया जा सकता है। [पैरा 13, 13.2][753-एफ-एच; 754-ए-बी]

1.3 इस मामले में, बोर्ड के सदस्यों द्वारा अंतिम चयन सूची को हस्ताक्षरित स्वीकृति दिए जाने के बावजूद, व्यक्तिगत पुरस्कार सूचियों की अनुपलब्धता के कारण अपीलकर्ताओं का संपूर्ण चयन रद्द कर दिया गया था। संपूर्ण चयन प्रक्रिया को रद्द करना अत्यधिक था या उचित, यह अपनाई गई चयन प्रक्रिया पर और इस बात पर निर्भर करेगा कि क्या यह मनमानी थी या चयन बोर्ड की ओर से किसी दुर्भावना को दर्शाती थी। [पैरा 14.4][755-एफ-जी]

1.4. अपनाई गई प्रासंगिक चयन प्रक्रिया के आलोक में, यह नहीं कहा जा सकता कि यह यांत्रिक या आकस्मिक थी या इसमें इतनी गंभीर या मनमानी अनियमितताएँ थीं कि संपूर्ण चयन प्रक्रिया को रद्द करना उचित ठहराया जा सके। इसके अलावा, चयन बोर्ड के सदस्यों द्वारा व्यक्तिगत रोल पर हस्ताक्षर और सत्यापन की आवश्यकता किसी भी क़ानून या नियम में निहित नहीं है। इसलिए, न्यायालय उच्च न्यायालय के इस निष्कर्ष को बरकरार

नहीं रख सकता कि संपूर्ण चयन प्रक्रिया ऐसी अनियमितता से दूषित थी। उच्च न्यायालय द्वारा संपूर्ण चयन प्रक्रिया को रद्द करना उचित नहीं था, विशेषकर तब जब अपीलकर्ताओं सहित चौंसठ उम्मीदवार उक्त पद पर एक दशक से अधिक समय से कार्यरत थे। [पैरा 14.6][759- एच; 760-ए-बी]

1.5. चयन बोर्ड की विशेषज्ञ, डॉ. समीना फरहत, सहायक प्रोफेसर, फार्माकोलॉजी विभाग, पेशे से डॉक्टर थीं और उनके पास फार्माकोलॉजी में स्नातकोत्तर (एमडी) और पीएचडी की डिग्री थी। 1992 के नियमों का नियम 9ए यह प्रावधान करता है कि अध्यक्ष यदि आवश्यक समझे तो नियुक्ति के विषय में किसी विशेषज्ञ को चयन बोर्ड के सदस्य के रूप में नियुक्त कर सकता है। इस मामले में यह तर्क दिया गया कि फार्मसी के क्षेत्र में योग्यता रखने वाला व्यक्ति पैनल के लिए अधिक उपयुक्त होता। [पैरा 15][760-सी-ई]

1.6. यह नहीं कहा जा सकता कि पेशे से डॉक्टर और फार्माकोलॉजी में स्नातकोत्तर (एमडी) एवं पीएचडी डिग्री प्राप्त व्यक्ति चयन बोर्ड में अपनी भूमिका के लिए किसी भी तरह से अयोग्य या अनुपयुक्त थे। वास्तव में, औषधि निरीक्षक के पद के लिए उम्मीदवारों का साक्षात्कार करने हेतु फार्माकोलॉजिस्ट अधिक उपयुक्त हैं। इसके अतिरिक्त, यह ध्यान देने योग्य है कि नियम 9ए में यह प्रावधान है कि अध्यक्ष यदि आवश्यक समझें तो नियुक्ति विषय से संबंधित किसी विशेषज्ञ को चयन बोर्ड के सदस्य के रूप में नियुक्त कर सकते हैं। इसी प्रकार नियम 9 (iii) में यह प्रावधान है कि अध्यक्ष यदि आवश्यक समझें तो भर्ती विषय से संबंधित किसी विशेषज्ञ को चयन समिति के साथ संबद्ध कर सकते हैं। 'सकते हैं' शब्द का प्रयोग यह दर्शाता है कि इस संबंध में बोर्ड के अध्यक्ष को विवेकाधिकार प्राप्त है और चयन समिति में फार्मसी योग्यता प्राप्त व्यक्ति को नियुक्त करना अनिवार्य नहीं है।

1.4. अपनाई गई प्रासंगिक चयन प्रक्रिया के आलोक में, यह नहीं कहा जा सकता कि यह यांत्रिक या आकस्मिक थी या इसमें इतनी गंभीर या मनमानी अनियमितताएँ थीं कि संपूर्ण चयन प्रक्रिया को रद्द करना उचित ठहराया जा सके। इसके अलावा, चयन बोर्ड के सदस्यों द्वारा व्यक्तिगत रोल पर हस्ताक्षर और सत्यापन की आवश्यकता किसी भी क़ानून या नियम में निहित नहीं है। इसलिए, न्यायालय उच्च न्यायालय के इस निष्कर्ष को बरकरार नहीं रख सकता कि संपूर्ण चयन प्रक्रिया ऐसी अनियमितता से दूषित थी। उच्च न्यायालय द्वारा संपूर्ण चयन प्रक्रिया को रद्द करना उचित नहीं था, विशेषकर तब जब अपीलकर्ताओं सहित चौंसठ उम्मीदवार उक्त पद पर एक दशक से अधिक समय से कार्यरत थे। [पैरा 14.6][759-एच; 760-ए-बी]

1.5. चयन बोर्ड की विशेषज्ञ, डॉ. समीना फरहत, सहायक प्रोफेसर, फार्माकोलॉजी विभाग, पेशे से डॉक्टर थीं और उनके पास फार्माकोलॉजी में स्नातकोत्तर (एमडी) और पीएचडी की डिग्री थी। 1992 के नियमों का नियम 9ए यह प्रावधान करता है कि अध्यक्ष, यदि आवश्यक समझे, तो उस विषय के विशेषज्ञ को चयन बोर्ड के सदस्य के रूप में नियुक्त कर सकता है जिसमें नियुक्ति की जानी है। इस मामले में, यह तर्क दिया गया कि फार्मसी के क्षेत्र में योग्यता रखने वाला व्यक्ति पैनल के लिए अधिक उपयुक्त होता। [पैरा 15][760-सी-ई]

1.6. यह नहीं माना जा सकता कि पेशे से डॉक्टर, जिनके पास फार्माकोलॉजी में स्नातकोत्तर डिग्री (एमडी) और पीएचडी है, चयन बोर्ड में अपनी भूमिका के लिए किसी भी तरह से कम योग्य या अनुपयुक्त थीं। वास्तव में, औषधि निरीक्षक के पद के लिए उम्मीदवारों का साक्षात्कार करने के लिए एक फार्माकोलॉजिस्ट अधिक उपयुक्त है। इसके अलावा, यह ध्यान देने योग्य है कि नियम 9ए यह प्रावधान करता है कि अध्यक्ष, यदि आवश्यक समझे, तो उस विषय के विशेषज्ञ को चयन बोर्ड के सदस्य के रूप में नियुक्त कर सकता है जिसमें नियुक्ति की जानी है। इसी प्रकार नियम 9 (iii) यह प्रावधान करता है कि अध्यक्ष, यदि आवश्यक समझे, तो चयन समिति के साथ उस विषय के विशेषज्ञ को जोड़ सकता है जिसमें भर्ती की जानी है। 'हो सकता है' शब्द का प्रयोग यह दर्शाता है कि इस संबंध में बोर्ड के अध्यक्ष को विवेकाधिकार प्राप्त है और चयन समिति में फार्मसी की योग्यता रखने वाले व्यक्ति को नियुक्त करना अनिवार्य नहीं है। इस हद तक, उच्च न्यायालय के एकल न्यायाधीश और खंडपीठ के निर्णय सही हैं। [पैरा 15.3][761-ई-जी]

1.7. साक्षात्कार में उम्मीदवार के प्रदर्शन के मूल्यांकन के मानदंड विविध हो सकते हैं और उनमें से कुछ व्यक्तिपरक भी हो सकते हैं।

हालाँकि, बिना किसी आपत्ति या विरोध के साक्षात्कार प्रक्रिया में भाग लेने के बाद, इसे बाद में केवल इसलिए चुनौती नहीं दी जा सकती क्योंकि उम्मीदवार का अपने प्रदर्शन का व्यक्तिगत मूल्यांकन समिति द्वारा दिए गए अंकों से अधिक था। साक्षात्कार/ मौखिक परीक्षा के लिए 100 में से केवल 20 अंक आवंटित किए गए थे। यह कुल अंकों का केवल 20% है, जिसे कुल अंकों का अत्यधिक अनुपात नहीं कहा जा सकता। इसके अलावा, न्यायालय साक्षात्कार पैनल द्वारा अंकों के आवंटन पर निर्णय नहीं दे सकते। यह साक्षात्कार पैनल के विवेक और निर्णय पर छोड़ देना ही बेहतर है। पैनल के समक्ष मौखिक परीक्षा में उपस्थित हुए उम्मीदवारों को अंक दिए जाने के संबंध में याचिकाकर्ताओं के तर्क में कोई दम नहीं है। इसके अलावा, कुल

अंकों का 80% व्यक्तिगत उम्मीदवारों की शैक्षणिक योग्यता के आधार पर वस्तुनिष्ठ मानदंडों पर आधारित है। [पैरा 16.2] [762-ई-एफ; 763-डी-ई]

1.8. 12 जून, 2009 के शुद्धिपत्र द्वारा मानदंडों को पुनर्परिभाषित किया गया था, जिसमें फार्मसी या फार्मास्युटिकल रसायन विज्ञान में डिग्री और स्नातकोत्तर डिग्री, पीएचडी आदि जैसी उन्नत योग्यताओं वाले उम्मीदवारों को दिए जाने वाले भार को बढ़ाया गया था, ताकि उक्त पदों के लिए आवेदन करने वाले अधिक योग्य व्यक्तियों को प्रोत्साहित किया जा सके। मानदंडों का पुनर्परिभाषित होना केवल उम्मीदवारों की संबंधित शैक्षणिक योग्यता के लिए अंकों के आवंटन से संबंधित था। यह चयन प्रक्रिया के मानकों को बनाए रखने के उद्देश्य से किया गया था और किसी भी दुर्भावनापूर्ण या अनुचित इरादे से प्रेरित नहीं था। उम्मीदवार की योग्यता जितनी अधिक होती थी, उतने ही अधिक अंक दिए जाते थे। दूसरे शब्दों में, शैक्षणिक योग्यता के लिए न्यूनतम अंक 65 थे और उम्मीदवारों की उच्च योग्यताओं के आधार पर 80 तक बढ़ सकते थे। इसलिए, इस आधार पर चयन प्रक्रिया में हस्तक्षेप नहीं किया जा सकता है कि अंकों का आवंटन एकतरफा रूप से पुनर्परिभाषित किया गया था। शैक्षणिक योग्यता के आधार पर अंकों का पुनर्आवंटन उम्मीदवारों की उच्च योग्यता को मान्यता देने के लिए किया गया था, जिसे मनमाना नहीं कहा जा सकता है। दूसरे शब्दों में, शैक्षणिक योग्यता के लिए न्यूनतम अंक 65 थे, जो उम्मीदवारों की उच्च योग्यता के आधार पर 80 तक बढ़ सकते थे। इसलिए, अंकों के निर्धारण में एकतरफा बदलाव के आधार पर चयन प्रक्रिया में हस्तक्षेप नहीं किया जा सकता। शैक्षणिक योग्यता के आधार पर अंकों का पुनर्वितरण उम्मीदवारों की उच्च योग्यता को मान्यता देने के लिए किया गया था, जिसे मनमाना नहीं कहा जा सकता। यह स्पष्ट है कि अंकों के पुनर्निर्धारण से असंतुष्ट कोई भी उम्मीदवार या तो अपनी उम्मीदवारी वापस ले लेगा या चयन प्रक्रिया के प्रारंभिक चरण में ही 12 जून, 2009 के शुद्धिपत्र को चुनौती देगा। हालांकि, याचिकाकर्ताओं ने ऐसा नहीं किया। बिना किसी आपत्ति या विरोध के चयन प्रक्रिया में भाग लेने के कारण, याचिकाकर्ता केवल असफल होने के कारण इसे दुर्भावना से प्रेरित बताकर चुनौती नहीं दे सकते। [पैरा 16.3][763-एफ-एच; 764-ए-सी]

1.9. रिट याचिकाओं में एकल न्यायाधीश द्वारा जारी निर्देशों में से एक यह था कि सफल उम्मीदवारों को पद पर बनाए रखा जाए, लेकिन साथ ही, उपलब्ध पदों पर नियुक्ति के लिए याचिकाकर्ताओं के मामले पर भी विचार किया जाए। लेकिन यदि पदों की अनुपलब्धता के कारण याचिकाकर्ताओं को समायोजित करना संभव नहीं था, तो संपूर्ण चयन प्रक्रिया रद्द कर दी गई और एक नई चयन समिति का गठन किया जाना था, जो पहले उपस्थित हुए सभी

उम्मीदवारों का पुनः साक्षात्कार करे और एक नई चयन सूची तैयार करे। इसके अलावा, उक्त प्रक्रिया पूरी होने तक चयनित उम्मीदवारों को उनके पदों पर बने रहना था। हालांकि, डिवीजन बेंच ने संपूर्ण चयन सूची को रद्द कर दिया और निर्देश दिया कि पहले से की गई नियुक्तियों के बाद उत्पन्न रिक्तियों के विरुद्ध कोई और नियुक्ति नहीं की जा सकती है और पदों का पुनः विज्ञापन करके नया चयन किया जाना है। परिणामस्वरूप, ड्रग इंस्पेक्टरों का चयन पूर्णतः रद्द कर दिया गया और छह महीने के भीतर इस प्रक्रिया को पुनः पूरा करने का निर्देश जारी किया गया और तब तक नियुक्त ड्रग इंस्पेक्टरों को उनके पदों पर बने रहना था। एकल न्यायाधीश और डिवीजन बेंच दोनों द्वारा जारी किए गए निर्देश कानून के अनुसार नहीं थे, इसलिए उक्त निर्देशों को रद्द किया जाना चाहिए। [पैरा 17][764-डी-एफ]

1.10. श्रीनगर स्थित जम्मू और कश्मीर उच्च न्यायालय के एकल न्यायाधीश का 18 दिसंबर 2015 का निर्णय और खंडपीठ द्वारा 29 अक्टूबर 2021 को पारित विवादित निर्णय निरस्त किए जाते हैं। फलस्वरूप, श्रीनगर स्थित जम्मू और कश्मीर उच्च न्यायालय के एकल न्यायाधीश के 18 दिसंबर 2015 के आदेश के अनुसरण में जम्मू स्थित जम्मू उच्च न्यायालय का 6 जुलाई 2017 का निर्णय भी निरस्त किया जाता है।

[पैरा 18][764-जी-एच; 765-ए]

सदानंद हालो बनाम मुमताज अली शेख, (2008) 4 एससीसी 619 : [2008] 3 एससीआर 497; त्रिवेदी हिमांशु घनश्यामभाई बनाम अहमदाबाद नगर निगम, (2007) 8 एससीसी 644 : [2007] 10 एससीआर 1041 - पर भरोसा किया गया।

भारतीय रिज़र्व बैंक बनाम सी.एल. तूरा (2004) 4 एससीसी 657:

[2004] 3 एससीआर 847; भारत संघ बनाम विकास कुंअर (2006) 8 एससीसी 192; मैसूर विश्वविद्यालय बनाम सी.डी. गोविंदा राव [1964] 4 एससीआर 575; इंडियन रेलवे कंस्ट्रक्शन कंपनी लिमिटेड बनाम अजय कुमार (2003) 4 एससीसी 579: [2003] 2 एससीआर 387; बिहार राज्य बनाम पी.पी. शर्मा (1992) 1 सप्लीमेंट एससीसी 222: [1991] 2 एससीआर 1; अजीत कुमार नाग वि.

इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड (2005) 7 एससीसी 764: [2005] 3 सप्ल। एससीआर 314; भारत संघ बनाम अशोक कुमार (2005) 8 एससीसी 760 : [2005] 4 अनुपूरक एससीआर 317; राष्ट्रीय मानसिक स्वास्थ्य एवं तंत्रिका विज्ञान संस्थान बनाम

डॉ. के. कल्याणा रमन (1992) 2 अनुपूरक एससीसी 481;

डी बी.सी. मैलारप्पा बनाम डॉ. आर. वेंकटसुब्बैया (2008) 14 एससीसी 306 : [2008] 14 एससीआर 288; बैद्यनाथ यादव बनाम

आदित्य नारायण रॉय (2020) 16 एससीसी 799 : [2019] 15 एससीआर 427; मोहम्मद मुस्तफा बनाम भारत संघ (2022) 1 एससीसी 294; मदन लाल बनाम जम्मू एवं कश्मीर राज्य (1995) 3 एससीसी 486 : [1995] 1 एससीआर 908; यूनियन ऑफ इंडिया बनाम बिलाश चंद जैन (2009) 16 एससीसी 601; अनुपाल सिंह बनाम उत्तर प्रदेश राज्य (2020) 2 एससीसी 173 : [2019] 12 एससीआर 1071; डी. सरोजाकुमारी बनाम आर. हेलेन थिलाकोम (2017) 9 एससीसी 478 : [2017] 9 एससीआर 512; सचिन कुमार बनाम दिल्ली अधीनस्थ सेवा चयन बोर्ड (2021) 4 एससीसी 631;

इंदरप्रीत सिंह कहलोन बनाम पंजाब राज्य (2006) 11 एससीसी 356 : [2006] 1 सप्लीमेंट एससीआर 772; यूनियन ऑफ इंडिया बनाम राजेश पी.यू. (2003) 7 एससीसी 285 : [2003] 1 पूरक। एससीआर 883; अशोक कुमार यादव बनाम हरियाणा राज्य (1985) 4 एससीसी 417: [1985] 1 पूरक। एससीआर 657; बुद्धि नाथ चौधरी बनाम अबाही कुमार (2001) 3 एससीसी 328: [2001] 2 एससीआर 18; जसविंदर सिंह बनाम जम्मू-कश्मीर राज्य (2003) 2 एससीसी 132; सचिव, कर्नाटक राज्य बनाम उमादेवी (2006) 4 एससीसी 1: [2006] 3 एससीआर 953; दलपत अबासाहेब सोलुंके बनाम डॉ. बी.एस. महाजन एआईआर 1990 एससी 434; सचिव. (स्वास्थ्य) विभाग. स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग बनाम डॉ. अनीता पुरी (1996) 6 एससीसी 282 : [1996] 5 अनुपूरक एससीआर 361; एम. वी. थिम्मैया बनाम संघ लोक सेवा आयोग (2008) 2 एससीसी 119 : [2007] 13 एससीआर 624; ओम प्रकाश पोपलाई और राजेश कुमार माहेश्वरी बनाम दिल्ली स्टॉक एक्सचेंज एसोसिएशन लिमिटेड (1994) 2 एससीसी 117 : [1994] 1 एससीआर 120; मनीष कुमार शाही बनाम बिहार राज्य, (2010) 12 एससीसी 576; रमेश चंद्र शाह बनाम अनिल जोशी (2013) 11 एससीसी

309 : [2013] 5 एससीआर 687; अशोक कुमार बनाम बिहार राज्य, (2017) 4 एससीसी 357: [2016] 8 एससीआर 815; कुमारी अनामिका मिश्रा बनाम यूपी लोक सेवा आयोग, इलाहाबाद एआईआर 1990 एससी 461: [1989] पूरक। एससीआर 124;

मोहिंदर सैन गर्ग बनाम पंजाब राज्य, (1991) 1 एससीसी

662 : [1990] 3 पूरक। एससीआर 108; माइनर ए.

पीरियाकरुप्पन आदि बनाम तमिलनाडु राज्य (1971) 1 एससीसी 38: [1971] 2 एससीआर 430; मिस निशि माघू बनाम जम्मू एवं कश्मीर राज्य (1980) 4 एससीसी 95: [1980] 3 एससीआर 1253; लीला धर बनाम राजस्थान राज्य एआईआर 1981 एससी 1777: [1982] 1 एससीआर 320 - संदर्भित।

पी. रामनाथ अय्यर का एडवांस्ड लॉ लेक्सिकन, छठा संस्करण, वॉल्यूम। 3; ऑक्सफोर्ड कॉन्सिस मेडिकल डिक्शनरी, 7वां संस्करण - संदर्भित।

केस कानून संदर्भ

[2004] 3 एससीआर 847 पैरा 7.1 को संदर्भित करता है

(2006) 8 एससीसी 192 पैरा 7.2, 7.5, 7.7 और 13.2 में संदर्भित

[2008] 3 एससीआर 497 पैरा 7.2 पर निर्भर था

[1964] 4 एससीआर 575 पैरा 7.2 को संदर्भित करता है

[2007] 10 एससीआर 1041 पैरा 7.3, 9.5 और 14.6 पर निर्भर था

[2003] 2 एससीआर 387 पैरा 7.3 को संदर्भित करता है

[1991] 2 एससीआर 1 पैरा 7.3 को संदर्भित करता है

[2005] 3 पूरक। एससीआर 314 पैरा 7.3 को संदर्भित करता है

[2005] 4 पूरक। एससीआर 317 पैरा 7.3 को संदर्भित करता है

(1992) 2 पूरक। एससीसी 481 पैरा 7.4 को संदर्भित करता है

[2008] 14 एससीआर 288 पैरा 7.4 को संदर्भित करता है

[2019] 15 एससीआर 427 पैरा 7.4 बी को संदर्भित करता है

(2022) 1 एससीसी 294 संदर्भित	पैरा 7.4, 7.7 को संदर्भित करता है
[1995] 1 एससीआर 908 संदर्भित	पैरा 7.6, 7.7 एवं 7.9
(2009) 16 एससीसी 601 संदर्भित	पैरा 7.6
[2019] 12 एससीआर 1071 संदर्भित	पैरा 7.7
[2017] 9 एससीआर 512 संदर्भित	पैरा 7.7
(2021) 4 एससीसी 631 संदर्भित	पैरा 7.8
[2006] 1 सप्लीमेंट एससीआर 772 संदर्भित	पैरा 7.8
[2003] 1 सप्लीमेंट एससीआर 883 संदर्भित	पैरा 7.8, 14.3
[1985] 1 सप्लीमेंट एससीआर 657 संदर्भित	पैरा 7.9
[2001] 2 एससीआर 18 संदर्भित	पैरा 7.10 पैरा 9.4
(2003) 2 एससीसी 132 संदर्भित	पैरा 9.4
[2006] 3 एससीआर 953 संदर्भित	पैरा 10.6
एआईआर 1990 एससी 434 संदर्भित	पैरा 12 (i)
[1996] 5 अनुपूरक एससीआर 361 संदर्भित	पैरा 12 (ii)
[2007] 13 एससीआर 624 संदर्भित	पैरा 13 (iii)
[1994] 1 एससीआर 120 संदर्भित	पैरा 14.1
(2010) 12 एससीसी 576 संदर्भित	पैरा 13 (i)
[2013] 5 एससीआर 687 संदर्भित	पैरा 13 (ii)
[2016] 8 एससीआर 815 संदर्भित	पैरा 13 (iii)
[1989] अनुपूरक एससीआर 124	पैरा 14.1
पैरा 12 (iii) पैरा 12 (iv)	
[1990] 3 पूरक। एससीआर 108	पैरा 14.2 में संदर्भित है

[1971] 2 एससीआर 430 पैरा 16 को संदर्भित करता है

[1980] 3 एससीआर 1253 पैरा 16 को संदर्भित करता है

[1982] 1 एससीआर 320 पैरा 16.1 को संदर्भित करता है

सिविल अपीलीय क्षेत्राधिकार: सिविल अपील संख्या 21642172 वर्ष 2023।

जम्मू और कश्मीर एवं लद्दाख उच्च न्यायालय, श्रीनगर के दिनांक 29.10.2021 के निर्णय एवं आदेश से, एलपीएसडब्ल्यू संख्या 277 वर्ष 2015, 278, 279, 12, 97, 98, 105, 134 एवं 135 वर्ष 2016 में।

साथ

2023 की सिविल अपील संख्या 2182-2190, 2191-2199, 2200, 2173-2181, 22012203, 2204-2212, 2213-2215 और 2216-2221।

सुश्री माधवी गोरडिया दीवान, ए.एस.जी., पी.एस. पटवालिया, संजय आर. हेगड़े, रंजीत कुमार, राकेश द्विवेदी, वरिष्ठ अधिवक्ता, एम. शोएब आलम, उज्ज्वल सिंह, अगस्त्य सेन, कृष्णा सुमंत, सिद्धांत बक्सी, राजेश सिंह परिहार, सुनंदो राहा, राघव गुप्ता, शाहरुख अली, सुश्री फौजिया शकील, अनुपम रैना, सुश्री पूर्णिमा कृष्णा, जी. एम. कावूसा, सुश्री पल्लक मित्तल, सुश्री माजुला गुप्ता, रुशब अग्रवाल, जपनीश सिंह भाटिया, सुश्री रिद्धिमा जुनेजा, मुकुल कुमार, शैलेश मडियाल, वैभव सभरवाल, अक्षय कुमार, सुश्री पलक मित्तल, सुश्री एस. जननी, दीपक गोयल, सुश्री सारिका राय, शिव सिंह यादव, प्रिया रंजन कुमार, सुश्री बीना गोयल, हितेश कुमार शर्मा, एस. के. राजोरा, अखिलेशवर झा, सुश्री निहारिका देवीवेदी, सुश्री श्वेता सैंड, रविश कुमार गोयल, अनीश राँय, उपस्थित पक्षों के अधिवक्ता।

न्यायालय का निर्णय

न्यायमूर्ति नागरत्ना

द्वारा सुनाया गया।

अनुमति प्रदान की गई।

2. मृतक याचिकाकर्ता के कानूनी प्रतिनिधियों के प्रतिस्थापन हेतु आई.ए. संख्या 21153/2022 और आई.ए. संख्या 21153/2022 दाखिल करने में हुई देरी को माफ करने हेतु आई.ए. संख्या

21154/2022 स्वीकार की जाती है। आई.ए. दाखिल करने में हुई देरी... संख्या 21154/2022 को माफ कर दिया गया है और कानूनी प्रतिनिधियों को रिकॉर्ड में लाया गया है।

3. पक्षकार बनाने हेतु दायर की गई अपील संख्या 3739/2022 को भी स्वीकार कर लिया गया है।

4. अपीलों का यह वर्तमान समूह जम्मू और कश्मीर राज्य में 8 सितंबर, 2009 को ड्रग इंस्पेक्टरों की नियुक्ति के लिए आयोजित चयन प्रक्रिया और 12 नवंबर, 2009 को प्रकाशित नियुक्तियों से संबंधित है, जिसके तहत एसएलपी (सी) संख्या 20781-20789/2021; एसएलपी (सी) संख्या 20790-20798/2021; एसएलपी (सी) संख्या 20799-20807/2021; एसएलपी (सी) संख्या 976/2022 के अपीलकर्ताओं सहित चौंसठ व्यक्तियों की नियुक्ति की गई थी। एसएलपी (सी) संख्या 967-975/2022 और डायरी संख्या 1194/2022 के तहत चयनित व्यक्तियों को ड्रग इंस्पेक्टर के रूप में नियुक्त किया गया था और वे 12 नवंबर, 2009 से उक्त पदों पर कार्यरत हैं। इस चयन और नियुक्ति को जम्मू और कश्मीर उच्च न्यायालय में चुनौती दी गई थी और जम्मू और कश्मीर उच्च न्यायालय के विद्वान एकल न्यायाधीश द्वारा इसे रद्द कर दिया गया था। श्रीनगर स्थित जम्मू और कश्मीर उच्च न्यायालय के माननीय एकल न्यायाधीश द्वारा दिनांक 18 दिसंबर 2015 को एसडब्ल्यूपी संख्या 1356/2009 और संबंधित मामलों में दिए गए निर्णय और आदेश को उच्च न्यायालय की डिवीजन बेंच ने दिनांक 29 अक्टूबर 2021 को लेटर्स पेटेंट अपील संख्या 277/2015 और संबंधित मामलों में पारित निर्णय द्वारा बरकरार रखा। एसएलपी (सी) संख्या 976/2022 के अपीलकर्ताओं ने दिनांक 6 जुलाई 2017 को जम्मू और कश्मीर उच्च न्यायालय के माननीय एकल न्यायाधीश द्वारा पारित निर्णय और आदेश को चुनौती दी है।

इस निर्णय और आदेश में, श्रीनगर स्थित जम्मू और कश्मीर उच्च न्यायालय के माननीय एकल न्यायाधीश के दिनांक 18 दिसंबर 2015 के निर्णय और आदेश पर भरोसा करते हुए, कुछ अपीलकर्ताओं द्वारा दायर रिट याचिका को खारिज कर दिया गया था। अतः, ये अपीलें दायर की गई हैं।

5. संक्षेप में, वर्तमान अपीलों से संबंधित तथ्य इस प्रकार हैं:

5.1. 5 मई, 2008 को जम्मू और कश्मीर अधीनस्थ सेवा चयन एवं भर्ती बोर्ड (जिसे आगे "बोर्ड" कहा गया है) ने जम्मू और कश्मीर अधीनस्थ सेवा भर्ती नियम, 1992 (जिसे आगे "1992 नियम" कहा गया है) के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए विज्ञापन सूचना

संख्या 3/2008 जारी की, जिसमें बीस सेवाओं में रिक्त पदों को भरने के लिए आवेदन आमंत्रित किए गए। विज्ञापन सूचना में उपलब्ध रिक्त पदों का विवरण और संबंधित भर्ती नियमों के तहत निर्धारित पात्रता मानदंड दिए गए थे।

विज्ञापित पदों की कुल संख्या 549 थी। उक्त विज्ञापन में ड्रग इंस्पेक्टर के 72 पदों के लिए आवेदन आमंत्रित किए गए थे, जिनमें से 42 पद खुली योग्यता श्रेणी से भरे जाने थे; 14 पद पिछड़े क्षेत्रों के निवासियों (जिन्हें आगे “आरबीए” कहा गया है) द्वारा भरे जाने थे और 16 पद अन्य सामाजिक श्रेणियों (जिन्हें आगे “ओएससी” कहा गया है) सहित विभिन्न अन्य आरक्षित श्रेणियों द्वारा भरे जाने थे।

दवा निरीक्षक के पद के लिए आवेदन हेतु विज्ञापन में निर्धारित आवश्यक योग्यताएँ निम्नानुसार थीं:

(क) उम्मीदवार के पास फार्मसी या फार्मास्युटिकल रसायन विज्ञान में डिग्री या रसायन विज्ञान में स्नातकोत्तर डिग्री होनी चाहिए जिसमें भारत में विधि द्वारा स्थापित किसी विश्वविद्यालय से फार्मास्यूटिकल्स एक विशेष विषय के रूप में हो, या नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा इस प्रयोजन के लिए केंद्र सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त और अधिसूचित समकक्ष योग्यता होनी चाहिए, या इंस्टीट्यूशन ऑफ केमिस्ट्स (इंडिया) का एसोसिएटशिप डिप्लोमा होना चाहिए, जिसमें दवाओं और फार्मास्यूटिकल्स के विश्लेषक को एक विषय के रूप में शामिल करते हुए परीक्षा उत्तीर्ण की हो; या

(ख) उम्मीदवार को नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा इस प्रयोजन के लिए मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से चिकित्सा या विज्ञान में स्नातक होना चाहिए और उसे निम्नलिखित में से किसी एक प्रयोगशाला में कम से कम एक वर्ष का स्नातकोत्तर प्रशिक्षण प्राप्त होना चाहिए:

i) अधिनियम के तहत नियुक्त सरकारी विश्लेषक;

i.	फार्मसी में डिग्री (बी. फार्मसी) या	55 अंक
ii.	फार्मास्युटिकल केमिस्ट्री में डिग्री या	55 अंक
iii.	फार्मास्युटिकल को विशेष विषय के रूप में लेकर रसायन विज्ञान में स्नातकोत्तर (पी.जी.) या	55 अंक

iv.	इंस्टीट्यूशन ऑफ केमिस्ट्स (इंडिया) का एसोसिएटशिप डिप्लोमा, जिसमें औषधि विश्लेषक (ड्रग्स का विश्लेषक) तथा फार्मास्युटिकल विषयों सहित परीक्षा उत्तीर्ण की हो या	55 अंक
v.	चिकित्सा या विज्ञान में किसी ऐसे विश्वविद्यालय से स्नातक, जिसे इस उद्देश्य के लिए नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा मान्यता प्राप्त हो, तथा जिसने निम्न में से किसी के अधीन प्रयोगशाला में कम से कम एक वर्ष का स्नातकोत्तर प्रशिक्षण प्राप्त किया हो— (i) अधिनियम के अंतर्गत नियुक्त सरकारी विश्लेषक (सरकारी विश्लेषक (ii) रासायनिक परीक्षक (रासायनिक परीक्षक) (iii) नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा विशेष रूप से अनुमोदित किसी संस्थान के प्रमुख (संस्थान के प्रमुख)	55 अंक
vi.	फार्मसी / चिकित्सा में स्नातकोत्तर	25 अंक
vii.	मौखिक परीक्षा	20 अंक
	कुल - 100 अंक	100 अंक

ii) नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा इस प्रयोजन के लिए विशेष रूप से अनुमोदित संस्था के प्रमुख का रासायनिक परीक्षक।

5.2. बोर्ड ने औषधि निरीक्षकों के पदों पर चयन और नियुक्ति को विनियमित करने के लिए अनुमोदित मानदंडों को अधिसूचित किया। वे इस प्रकार हैं:

5.3. विज्ञापन के अनुसरण में औषधि निरीक्षक के पद के लिए आवेदन पत्र प्राप्त होने के बाद, अधिकारियों ने 31 मई, 2009 को एक स्थानीय दैनिक में एक अधिसूचना जारी कर चयनित उम्मीदवारों के नाम प्रकाशित किए। 12 जून, 2009 को बोर्ड द्वारा एक अन्य अधिसूचना जारी की गई जिसका शीर्षक था "औषध निरीक्षक (स्वास्थ्य) के मानदंडों में विसंगति पाई गई"। उक्त अधिसूचना के आधार पर, प्रतिवादियों ने चयन के मानदंडों को निम्नानुसार संशोधित किया:

5.4. 8 सितंबर, 2009 को बोर्ड ने चयन सूची प्रकाशित की और जम्मू और कश्मीर के औषधि एवं खाद्य नियंत्रण संगठन में औषधि निरीक्षक के रूप में नियुक्ति के लिए चौंसठ उम्मीदवारों की सिफारिश की। चयन सूची में खुली योग्यता श्रेणी से चयनित 42 उम्मीदवार और अन्य आरक्षित श्रेणियों से चयनित कुल 22 उम्मीदवार शामिल थे, जिनमें से 14 नाम आरबीए श्रेणी के अंतर्गत चयनित किए गए थे। बोर्ड ने 15 अक्टूबर, 2009 को सभी मूल दस्तावेजों के सत्यापन के बाद नियुक्ति आदेश जारी करने हेतु चयन सूची संबंधित विभाग, स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा विभाग के समक्ष रखी।

5.5. 12 नवंबर, 2009 को जम्मू और कश्मीर के औषधि एवं खाद्य नियंत्रण संगठन के नियंत्रक कार्यालय ने चयनित उम्मीदवारों को 9300-34800 रुपये के वेतनमान और 4200 रुपये के वेतन बैंड में औषधि निरीक्षक के पद पर नियुक्त करते हुए नियुक्ति आदेश जारी किए।

5.6. चयन प्रक्रिया में असफल रहे कुछ उम्मीदवारों ने जम्मू और कश्मीर उच्च न्यायालय, जम्मू में रिट याचिका (सेवा) संख्या 1685/2009 दायर की, जिसमें चयनित उम्मीदवारों में से 56 के चयन को रद्द करने और अधिकारियों को याचिकाकर्ताओं को औषधि निरीक्षक के रूप में चयनित और नियुक्त करने का आदेश देने हेतु परमादेश जारी करने की प्रार्थना की गई थी। चयन प्रक्रिया को चुनौती देने के प्रमुख आधार निम्नलिखित हैं:

औषधि निरीक्षक के रूप में नियुक्त उम्मीदवारों ने औषधि निरीक्षक पद के लिए निर्धारित योग्यताएं उन विश्वविद्यालयों से प्राप्त की थीं जो भारतीय फार्मसी परिषद से संबद्ध नहीं थे। 5 मई, 2008 के विज्ञापन नोटिस में निहित पात्रता मानदंड को 12 जून, 2009 की अधिसूचना द्वारा संशोधित किया गया था और केंद्र सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त और अधिसूचित विश्वविद्यालय से योग्यता प्राप्त करने संबंधी मानदंड को हटा दिया गया था। रिट याचिका में याचिकाकर्ताओं ने तर्क दिया कि योग्यता को क्यों छोड़ा गया, इसका कारण न तो समझा जा सकता है और न ही स्पष्ट है।

चयन समिति द्वारा किया गया चयन कानूनी रूप से मान्य नहीं था क्योंकि चयन समिति की कोरम पूरी नहीं थी। बोर्ड के अध्यक्ष, जो साक्षात्कार समिति के सदस्यों में से एक थे, ने साक्षात्कार प्रक्रिया में भाग नहीं लिया। इसके अलावा, साक्षात्कार समिति के विशेषज्ञ सदस्य फार्मसी क्षेत्र से नहीं थे। संबंधित क्षेत्र में विशेषज्ञता रखने वाले व्यक्ति को साक्षात्कार समिति

का सदस्य बनाने के बजाय, अधिकारियों ने एमबीबीएस योग्यता वाले सदस्य को नियुक्त किया।

स्नातकोत्तर डिग्री वाले उम्मीदवारों को 10 अंक दिए गए और मौखिक परीक्षा में ऐसे स्नातकोत्तर उम्मीदवारों को 20 में से 18 या 20 अंक दिए गए। यद्यपि याचिकाकर्ताओं ने साक्षात्कार में असाधारण रूप से अच्छा प्रदर्शन किया था, फिर भी अधिकारियों ने चयन प्रक्रिया के दौरान मनमाने ढंग से कार्य किया।

5.7. एसडब्ल्यूपी संख्या 1685/2009 में उठाए गए समान आधारों पर, चयन प्रक्रिया को चुनौती देते हुए असफल उम्मीदवारों द्वारा तीन और रिट याचिकाएं दायर की गईं। ये याचिकाएँ जम्मू और कश्मीर उच्च न्यायालय की श्रीनगर पीठ के समक्ष दायर की गईं। उक्त रिट याचिकाओं का विवरण नीचे दिया गया है:

i) रिट याचिका एसडब्ल्यूपी संख्या 1356/2009 उच्च न्यायालय में दायर की गई थी, जिसमें मौखिक परीक्षा के लिए 20 अंक आवंटित करने के मानदंड को रद्द करने और अधिकारियों को मौखिक परीक्षा के दौरान समिति द्वारा उम्मीदवारों को आवंटित अंकों को छोड़कर प्राप्त योग्यता के आधार पर उम्मीदवारों की एक नई चयन सूची तैयार करने का निर्देश देने के लिए सर्टिओरारी प्रकृति की रिट की मांग की गई थी। रिट याचिकाकर्ताओं ने आगे परमादेश प्रकृति की रिट की मांग की थी, जिसमें चयन समिति में आवश्यक योग्यता रखने वाले एक विशेषज्ञ की उपस्थिति में साक्षात्कार दोबारा आयोजित करने का निर्देश देने की मांग की गई थी।

ii) याचिकाकर्ता ने श्रीनगर उच्च न्यायालय में रिट याचिका एसडब्ल्यूपी संख्या 1535/2009 दायर की, जिसमें ड्रग इंस्पेक्टरों के चयन के संबंध में प्रकाशित चयन सूची को रद्द करने के लिए रिट ऑफ सर्टिओरारी, ड्रग इंस्पेक्टर के पद के लिए साक्षात्कार से संबंधित रिकॉर्ड प्रस्तुत करने के लिए अधिकारियों को निर्देश देने और संबंधित अधिकारियों को याचिकाकर्ता को उसकी शैक्षणिक योग्यता और साक्षात्कार में प्राप्त अंकों के आधार पर ड्रग इंस्पेक्टर के पद पर चयनित और नियुक्त करने का निर्देश देने के लिए रिट ऑफ मैडमस की मांग की गई थी।

iii) रिट याचिका एसडब्ल्यूपी संख्या 1846/2009 दायर की गई, जिसमें चयन सूची को रद्द करने के लिए रिट ऑफ सर्टिओरारी और संबंधित अधिकारियों को सफल उम्मीदवारों के चयन की तिथि से पूर्वव्यापी प्रभाव से याचिकाकर्ता को ड्रग इंस्पेक्टर के पद पर चयनित और नियुक्त करने का आदेश देने के लिए रिट ऑफ मैडमस की मांग की गई थी।

5.8. श्रीनगर उच्च न्यायालय की एकल न्यायाधीश पीठ ने 18 दिसंबर 2015 के एक सामान्य निर्णय और आदेश द्वारा रिट याचिकाओं, अर्थात् एसडब्ल्यूपी संख्या 1356/2009, 1846/2009 और 1535/2009 को स्वीकार कर लिया। 18 दिसंबर 2015 के निर्णय के प्रासंगिक निष्कर्ष नीचे दिए गए हैं:

i) एकल न्यायाधीश ने चयन बोर्ड में विशेषज्ञ, फार्माकोलॉजी विभाग की सहायक प्रोफेसर डॉ. समीना फरहत की योग्यता को लेकर याचिकाकर्ताओं द्वारा उठाई गई चुनौती को खारिज कर दिया। यह पाया गया कि विशेषज्ञ पेशे से डॉक्टर हैं और उनके पास फार्माकोलॉजी में स्नातकोत्तर (एमडी) और पीएचडी की डिग्री है। फार्माकोलॉजी फार्मसी के अध्ययन का एक महत्वपूर्ण घटक है और स्नातक और स्नातकोत्तर स्तर पर फार्मसी में डिग्री के पाठ्यक्रम में निर्देश के प्रमुख क्षेत्रों में शामिल है। फार्मसी का अध्ययन और प्रशिक्षण प्राप्त करने वाले सभी लोगों के लिए फार्माकोलॉजी का अध्ययन करना अनिवार्य है। एक फार्मासिस्ट को सीखना होगा

ii) दवा के प्रभाव के साथ-साथ दवा को शरीर में किस प्रकार से पहुंचाया जा सकता है। फार्मासिस्ट दवा विशेषज्ञ होते हैं और उनकी जिम्मेदारियों में मरीजों को दवा देना, मरीजों के स्वास्थ्य और प्रगति की निगरानी करना और दवा उपचारों के प्रति मरीज की प्रतिक्रिया को अनुकूलित करना शामिल है। इसलिए, फार्माकोलॉजी और फार्मसी एक दूसरे से बिल्कुल अलग नहीं हैं। चिकित्सा का अध्ययन करने वाले और फार्माकोलॉजी के विशेषज्ञ से फार्मसी का अच्छा ज्ञान होने की अपेक्षा की जाती है।

माननीय एकल न्यायाधीश का मत था कि न्यायिक समीक्षा की शक्ति का प्रयोग करते हुए न्यायालय चयन समिति का स्थान नहीं ले सकता या यह जाँचने के लिए अपीलिय भूमिका नहीं निभा सकता कि चयन समिति द्वारा मौखिक परीक्षा में दिए गए अंक अत्यधिक हैं और परीक्षा में उनके प्रदर्शन के अनुरूप नहीं हैं। चयन समिति/ साक्षात्कार बोर्ड के समक्ष उपस्थित उम्मीदवारों के प्रदर्शन का आकलन और मूल्यांकन समिति के सदस्यों पर छोड़ देना ही सर्वोत्तम है। इस प्रकार, केवल इसलिए कि 100% अंक दिए गए थे या दिए गए अंक अधिक थे, चयन समिति/ साक्षात्कार बोर्ड द्वारा दिए गए अंकों में त्रुटि निकालने का कोई कारण नहीं था। याचिकाकर्ताओं ने चयन प्रक्रिया में भाग लेने के बाद, मौखिक परीक्षा में प्राप्त अंकों के आधार पर या कम अंक मिलने के कारण प्रक्रिया से असंतुष्ट होने का अधिकार नहीं था। उच्च न्यायालय के विद्वान एकल न्यायाधीश ने हालांकि यह माना कि न्यायालय निर्णय की समीक्षा नहीं कर सकता, लेकिन यह जांच करना उसके अधिकार क्षेत्र में है कि प्रक्रिया और दिशा-

निर्देशों का पालन किया गया था या नहीं। इस प्रकार न्यायालय ने निर्णय लेने की प्रक्रिया की जांच की।

iii) विद्वान एकल न्यायाधीश ने पाया कि विचाराधीन मामले में, चयन बोर्ड के सदस्यों द्वारा व्यक्तिगत रूप से तैयार की गई पुरस्कार सूचियाँ चयन अभिलेख में नहीं थीं। यहां तक कि मौखिक परीक्षा में उम्मीदवारों के प्रदर्शन और पात्रता योग्यता तथा अतिरिक्त भार वाली योग्यता के आधार पर प्राप्त अंकों को दर्शाने वाली अंतिम पुरस्कार सूची पर भी चयन समिति के सदस्यों के हस्ताक्षर नहीं थे और अभिलेख में ऐसा कुछ भी नहीं था जिससे चयन समिति के सदस्यों द्वारा उम्मीदवारों के व्यक्तिगत मूल्यांकन और साक्षात्कार में प्राप्त अंकों सहित उनकी समग्र योग्यता का पता चलता हो। चयन समिति के सदस्यों द्वारा व्यक्तिगत रूप से तैयार की गई पुरस्कार सूचियों की अनुपस्थिति ने संपूर्ण चयन प्रक्रिया को दूषित कर दिया और चयन प्रक्रिया निर्धारित प्रक्रिया के अनुरूप नहीं थी।

iv) चयन अभिलेख की जांच करने पर, विद्वान एकल न्यायाधीश ने पाया कि चयन बोर्ड ने चयन करते समय कुछ उम्मीदवारों को अतिरिक्त भार दिया था, जबकि ऐसे उम्मीदवारों के पास फार्मसी/ चिकित्सा में स्नातकोत्तर डिग्री नहीं थी और इसलिए वे अतिरिक्त भार के पात्र नहीं थे। चयन समिति ने यह सत्यापित किए बिना कि क्या किसी उम्मीदवार द्वारा दावा की गई फार्मसी में स्नातकोत्तर डिग्री उसके पास थी और यदि हाँ, तो क्या वह डिग्री किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से कट-ऑफ तिथि से पहले प्राप्त की गई थी, उम्मीदवारों को स्नातकोत्तर डिग्री होने और इसलिए अतिरिक्त भार के पात्र होने की धारणा के आधार पर अतिरिक्त अंक प्रदान किए। इससे चयन प्रक्रिया पर संदेह उत्पन्न होता है।

5.9. उपरोक्त कारणों से, विद्वान एकल न्यायाधीश ने उक्त रिट याचिकाओं को स्वीकार कर लिया और निम्नलिखित निर्देश जारी किए:

i) रिट याचिकाओं में प्रतिवादी रहे सफल उम्मीदवार सात वर्षों से (उस समय) औषधि निरीक्षक के रूप में कार्यरत थे और विज्ञापित पदों के लिए उक्त उम्मीदवारों की पात्रता के संबंध में कोई विवाद नहीं था। इस प्रकार,

प्रतिवादी अधिकारियों को सफल उम्मीदवारों को बनाए रखने का विवेक दिया गया था और उन्हें प्रतिवादी विभाग में 9300- रुपये के वेतनमान में ड्रग इंस्पेक्टरों के उपलब्ध रिक्त पदों के विरुद्ध तीनों रिट याचिकाओं में याचिकाकर्ताओं की नियुक्ति पर विचार करने और इस प्रक्रिया को चार सप्ताह के भीतर पूरा करने का निर्देश दिया गया था।

ii) यदि न्यायालय के निर्देशानुसार याचिकाकर्ताओं की नियुक्ति पदों की अनुपलब्धता के कारण संभव नहीं थी, तो प्रतिवादी बोर्ड द्वारा 8 सितंबर, 2009 को प्रकाशित चयन सूची और उसके अनुसार की गई नियुक्ति निरस्त मानी जाएगी। इसके बाद बोर्ड को

एक चयन समिति गठित करनी होगी जो पहले उपस्थित हुए सभी उम्मीदवारों का नए सिरे से साक्षात्कार लेगी। चयन समिति के सदस्य निर्धारित प्रक्रिया का पालन करते हुए उम्मीदवारों का व्यक्तिगत रूप से आकलन करेंगे, ऐसे आकलन को दर्शाते हुए व्यक्तिगत पुरस्कार सूची तैयार करेंगे और उसे सीलबंद लिफाफे में चयन समिति के संयोजक को सौंपेंगे। चयन समिति के संयोजक मौखिक परीक्षा में प्राप्त कुल अंकों की गणना करेंगे और प्राप्त अंकों को पात्रता योग्यता और उच्च योग्यता (यदि कोई हो) के आधार पर उम्मीदवारों को दिए गए अंकों में आनुपातिक रूप से जोड़ेंगे और चयन समिति के सभी सदस्यों द्वारा विधिवत हस्ताक्षरित अंतिम योग्यता सूची तैयार करेंगे।

अंतिम योग्यता सूची के आधार पर बोर्ड को संबंधित विभाग को सिफारिशें प्रस्तुत करनी थीं और संबंधित विभाग को इन सिफारिशों पर कार्रवाई करते हुए चयनित उम्मीदवारों के पक्ष में नियुक्ति आदेश जारी करने थे।

माननीय एकल न्यायाधीश ने अधिकारियों को छह महीने के भीतर यह प्रक्रिया संपन्न करने का निर्देश दिया।

(iii) माननीय एकल न्यायाधीश ने आगे टिप्पणी की कि यदि प्रतिवादी अधिकारी उपरोक्त निर्देश संख्या (ii) का पालन करने का निर्णय लेते हैं, तो बोर्ड चयनित/ नियुक्त उम्मीदवारों को निर्देश संख्या (ii) के अनुपालन में की गई प्रक्रिया पूरी होने और नियुक्ति आदेश जारी होने तक पद पर बने रहने की अनुमति दे सकता है, क्योंकि उनकी बर्खास्तगी से प्रशासनिक समस्याएं, सार्वजनिक स्वास्थ्य को खतरा और औषधि एवं सौंदर्य प्रसाधन अधिनियम के उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए स्थापित संपूर्ण तंत्र के ध्वस्त होने की स्थिति उत्पन्न हो सकती है।

5.10. इसके बाद, माननीय एकल न्यायाधीश द्वारा दिनांक 18.12.2015 को पारित आदेश को चुनौती देते हुए उच्च न्यायालय में नौ लेटर्स पेटेंट अपीलें दायर की गईं। इन नौ अपीलों में से, तीन एलपीए (एलपीए संख्या 277/2015, 278/2015 और 12/2016) उन व्यक्तियों द्वारा दायर की गईं जिनका चयन खुली योग्यता श्रेणी में हुआ था और जिन्हें कम से कम एक रिट याचिका में पक्षकार बनाया गया था; तीन एलपीए (एलपीए संख्या 279/2015,

134/2016 और 135/2016) अपीलकर्ताओं द्वारा दायर की गई, अर्थात् वे व्यक्ति जिनका चयन आरक्षित श्रेणी में हुआ था और जिन्हें तीनों रिट याचिकाओं में से किसी में भी पक्षकार नहीं बनाया गया था; और तीन एलपीए (एलपीए संख्या 97/2016, 98/2016 और 105/2016) बोर्ड द्वारा दायर की गई।

5.11. दिनांक 29 अक्टूबर, 2021 के विवादित निर्णय द्वारा, उच्च न्यायालय की खंडपीठ ने एकल न्यायाधीश के निर्णय को गुण-दोष के आधार पर बरकरार रखा और एकल न्यायाधीश द्वारा जारी निर्देशों में संशोधन करते हुए अपीलों का निपटारा किया। दिनांक 29 अक्टूबर, 2021 के विवादित निर्णय में प्रासंगिक टिप्पणियाँ इस प्रकार हैं:

i) उच्च न्यायालय की खंडपीठ ने एकल न्यायाधीश के निर्णय को बरकरार रखा, जिसमें डॉ. समीना फरहत, सहायक प्रोफेसर, फार्माकोलॉजी विभाग, सरकारी मेडिकल कॉलेज, श्रीनगर को चयन समिति में विशेषज्ञ के रूप में शामिल करना शामिल था, और यह माना कि उनसे फार्मसी का अच्छा ज्ञान होने की अपेक्षा की जाती है।

ii) खंडपीठ ने यह भी माना कि उम्मीदवारों के मौखिक परीक्षा में प्रदर्शन और पात्रता योग्यता तथा अतिरिक्त महत्व की योग्यता के आधार पर प्राप्त अंकों से संबंधित अंतिम पुरस्कार सूची पर चयन समिति के सदस्यों के हस्ताक्षर नहीं थे। इसके अलावा, रिकॉर्ड में ऐसा कुछ भी नहीं था जिससे चयन समिति के सदस्यों द्वारा उम्मीदवारों के व्यक्तिगत मूल्यांकन और साक्षात्कार में दिए गए अंकों सहित उनकी समग्र योग्यता का संकेत मिलता हो।

iii) खंडपीठ के न्यायाधीशों में से एक, न्यायमूर्ति विनोद चटर्जी कौल ने टिप्पणी की कि विद्वान एकल न्यायाधीश द्वारा जारी निर्देश संख्या (i) निर्देश संख्या (ii) के विपरीत और विरोधाभासी था। यदि विद्वान एकल न्यायाधीश ने साक्षात्कार/ मौखिक परीक्षा में दिए गए अंकों को चयन मानदंडों के अनुरूप नहीं और विरोधाभासी पाया था, तो विद्वान एकल न्यायाधीश द्वारा निर्देश संख्या (i) जारी नहीं किया जाना चाहिए था क्योंकि इसका भावी उम्मीदवारों पर भी प्रभाव पड़ेगा और यह न्यायिक मिसाल के विपरीत होगा।

खंडपीठ द्वारा निर्देश संख्या (ii) को इस हद तक संशोधित किया गया कि "याचिकाकर्ताओं की नियुक्ति निर्देशानुसार की जानी है" को खंडपीठ द्वारा हटा दिया गया। निर्देश (ii) का अनुवर्ती भाग, अर्थात्, "प्रतिवादी बोर्ड द्वारा 8 सितंबर, 2009 को प्रकाशित चयन सूची और उसके

अनुसार की गई नियुक्तियाँ रद्द और निरस्त मानी जाएँगी।" और परिणामी निर्देशों को डिवीजन बेंच द्वारा बरकरार रखा गया था।

न्यायमूर्ति विनोद चटर्जी कौल ने विद्वान एकल न्यायाधीश द्वारा जारी निर्देश संख्या (iii) को बरकरार रखा और कहा कि यह निर्देश यथावत रहेगा और अधिकारियों द्वारा अक्षरशः लागू किया जाएगा।

iv) विद्वान मुख्य न्यायाधीश (तत्कालीन) ने एक अलग मत में न्यायमूर्ति विनोद चटर्जी कौल और विद्वान एकल न्यायाधीश के इस अवलोकन से सहमति व्यक्त की कि चयन सूची उचित रूप से तैयार नहीं की गई थी। अभिलेखों में ऐसा कुछ भी नहीं था जिससे यह संकेत मिले कि चयन समिति के सदस्यों ने उम्मीदवारों का व्यक्तिगत मूल्यांकन किया था और मौखिक परीक्षा में उम्मीदवारों के प्रदर्शन और योग्यता के आधार पर प्राप्त अंकों के साथ-साथ अतिरिक्त योग्यता के लिए दिए गए अतिरिक्त भार को दर्शाने वाली अंतिम पुरस्कार सूची भी मानदंडों के अनुसार नहीं थी। अतः, चयन प्रक्रिया निर्धारित प्रक्रिया के अनुरूप नहीं थी। हालांकि, उन्होंने आगे कहा कि विद्वान एकल न्यायाधीश ने उपरोक्त निष्कर्ष निकाला है कि कुछ उम्मीदवारों को मनमाने ढंग से अतिरिक्त भार दिया गया था, जबकि रिकॉर्ड में ऐसा कोई सबूत नहीं था जिससे यह साबित हो सके कि उनके पास अतिरिक्त अंक प्राप्त करने के लिए स्नातकोत्तर डिग्री थी। इसलिए, विद्वान एकल न्यायाधीश केवल इस आधार पर उम्मीदवारों के चयन को नहीं बचा सकते थे कि वे पिछले सात वर्षों से विभाग में कार्यरत थे और पद के लिए योग्य थे।

इसके अलावा, यह माना गया कि विद्वान एकल न्यायाधीश का अधिकारियों को सफल उम्मीदवारों को सेवा में बनाए रखने और याचिकाकर्ताओं- असफल उम्मीदवारों की नियुक्ति पर विचार करने का निर्देश देना उचित नहीं था, यदि वे पात्रता मानदंडों को पूरा करते हैं और उन्हें ड्रग इंस्पेक्टरों के उपलब्ध रिक्त पदों पर नियुक्ति के लिए विचार किया जाना चाहिए। विद्वान मुख्य न्यायाधीश ने राय दी कि विज्ञापन सूचना संख्या 3/2008 दिनांक 5 मई 2008 के अनुसार चयन प्रक्रिया चयन सूची के प्रकाशन और चयनित उम्मीदवारों के कार्यभार ग्रहण करने के साथ पूरी हो गई थी। इसलिए, उक्त चयन के आधार पर बाद में उत्पन्न होने वाली स्पष्ट रिक्तियों के विरुद्ध कोई और नियुक्ति नहीं की जा सकती थी। डिवीजन बेंच ने माना कि सभी बाद की रिक्त पदों को खुले बाजार से नए सिरे से भरा जाना है और यदि उन्हें पिछली चयन प्रक्रिया के उम्मीदवारों द्वारा भरे जाने की अनुमति दी जाती है, तो यह निश्चित रूप से उन उम्मीदवारों के अधिकारों का उल्लंघन होगा जिन्होंने उक्त रिक्त पदों के लिए

आवेदन किया होता यदि उनका विज्ञापन नए सिरे से जारी किया जाता। इस प्रकार डिवीजन बेंच ने माना कि एक बार चयन वैध नहीं पाया गया और इसलिए, माननीय एकल न्यायाधीश निर्देश संख्या (i) जैसा कोई निर्देश जारी नहीं कर सकते थे।

v) इस तर्क के संबंध में कि असफल उम्मीदवारों ने चयन प्रक्रिया में भाग लिया था और इस प्रकार, वे इसे चुनौती देने के हकदार नहीं थे, माननीय मुख्य न्यायाधीश ने टिप्पणी की कि रिट याचिकाकर्ताओं या असफल उम्मीदवारों को रिट याचिका दायर करने से नहीं रोका जा सकता था क्योंकि चयन प्रक्रिया में उपस्थित उम्मीदवार चयन के दौरान की गई अवैधताओं को हमेशा न्यायालय के संज्ञान में ला सकते हैं, हालांकि, उनके पास चयन समिति के गठन या चयन समिति के सदस्यों की पात्रता को चुनौती देने का कोई अधिकार नहीं हो सकता है, क्योंकि उन्होंने चयन प्रक्रिया में जानबूझकर भाग लिया था।

vi) इस प्रकार, डिवीजन बेंच ने बोर्ड द्वारा 8 सितंबर 2009 को प्रकाशित चयन सूची को रद्द कर दिया और प्रतिवादी- बोर्ड को विज्ञापित पदों के लिए कानून के अनुसार उपस्थित सभी उम्मीदवारों के नए साक्षात्कार आयोजित करने हेतु एक चयन समिति गठित करने की स्वतंत्रता दी। डिवीजन बेंच ने आगे स्पष्ट किया कि 5 मई 2008 के विज्ञापन द्वारा विज्ञापित न किए गए किसी भी पद या रिक्ति को उक्त चयन प्रक्रिया द्वारा नहीं भरा जाएगा। डिवीजन बेंच ने निर्देश दिया कि यदि यह प्रक्रिया शुरू की जाती है, तो इसे छह महीने के भीतर पूरा किया जाना चाहिए और तब तक चयनित उम्मीदवारों को प्रशासनिक समस्याओं से बचने के लिए उक्त पदों पर बने रहने की अनुमति दी जाए।

5.12. जम्मू और कश्मीर और लद्दाख उच्च न्यायालय, श्रीनगर की डिवीजन बेंच द्वारा 29 अक्टूबर, 2021 को पारित किए गए इस फैसले से असंतुष्ट होकर, विभिन्न हितधारकों द्वारा ये अपीलें दायर की गई हैं। इसके अतिरिक्त, एसएलपी (सी) संख्या 976/ 2022 दिनांक 6 जुलाई, 2017 को उच्च न्यायालय द्वारा एसडब्ल्यूपी संख्या 1685/ 2009 में पारित निर्णय और आदेश को चुनौती देते हुए दायर की गई है, जिसके द्वारा उच्च न्यायालय ने चयन प्रक्रिया और बोर्ड द्वारा 8 सितंबर, 2009 को प्रकाशित सूची को रद्द कर दिया था।

इस न्यायालय के समक्ष दायर विभिन्न अपीलों का विवरण, जिनकी सुनवाई हुई और जिनका निपटारा इस निर्णय के माध्यम से किया जा रहा है, सुगम संदर्भ के लिए नीचे सारणीबद्ध रूप में प्रस्तुत किया गया है:

क्रम सं.	विशेष अनुमति याचिका संख्या	आक्षेपित निर्णय तथा वह न्यायालय जिसने इसे पारित किया	कार्यवाही का विवरण जिसमें आक्षेपित निर्णय पारित हुआ	आक्षेपित निर्णय से प्रभावित पक्षकारों की श्रेणी
1	विशेष अनुमति याचिका (सिविल) संख्या 20781-20789 वर्ष 2021	आक्षेपित निर्णय एवं अंतिम आदेश दिनांक 29 अक्टूबर 2021, जो जम्मू एवं कश्मीर तथा लद्दाख उच्च न्यायालय, श्रीनगर द्वारा पारित किया गया।	एलपीए संख्याएं: 277/2015, 12/2016, 97/2016, 98/2016, 134/2016, 135/2016, 278/2015, 279/2015 तथा 105/2016	अपीलें उन अभ्यर्थियों द्वारा दायर की गई हैं, जिन्हें दिनांक 08.09.2009 की चयन सूची के माध्यम से पिछड़े क्षेत्रों के निवासियों (RBA) श्रेणी में चयनित किया गया था।
2.	विशेष अनुमति याचिका (सिविल) संख्या 20790-20798 वर्ष 2021	आक्षेपित निर्णय एवं अंतिम आदेश दिनांक 29 अक्टूबर 2021, जो जम्मू एवं कश्मीर तथा लद्दाख उच्च न्यायालय, श्रीनगर द्वारा पारित किया गया।	एलपीए संख्याएं: 277/2015, 12/2016, 97/2016, 98/2016, 134/2016, 135/2016, 278/2015, 279/2015 तथा 105/2016	अपीलें श्री आशीष गुप्ता, सुश्री रुमेस्सा मोहम्मद तथा श्री पंकज मल्होत्रा द्वारा दायर की गई हैं, जिन्हें दिनांक 08.09.2009 की चयन सूची के माध्यम से ओपन मेरिट श्रेणी में चयनित किया गया था।
3.	विशेष अनुमति याचिका (सिविल)	आक्षेपित निर्णय एवं आदेश	एलपीए संख्याएं: 277 वर्ष 2015,	अपीलें उन अभ्यर्थियों

	संख्या 20799-20807 वर्ष 2021	दिनांक 29 अक्टूबर 2021, जो जम्मू एवं कश्मीर तथा लद्दाख उच्च न्यायालय, श्रीनगर द्वारा पारित किया गया।	12 वर्ष 2016, 97 वर्ष 2016, 98 वर्ष 2016, 134 वर्ष 2016, 135 वर्ष 2016, 278 वर्ष 2015, 279 वर्ष 2015 तथा 105 वर्ष 2016	द्वारा दायर की गई हैं, जिन्हें दिनांक 08.09.2009 की चयन सूची के माध्यम से ओपन मेरिट श्रेणी में चयनित किया गया था।
4.	विशेष अनुमति याचिका (सिविल) संख्या 976/2022	आक्षेपित निर्णय एवं आदेश दिनांक 6 जुलाई 2017, जो जम्मू एवं कश्मीर उच्च न्यायालय, जम्मू (जम्मू पीठ) द्वारा पारित किया गया।	एसडब्ल्यूपी संख्या 1685/2009, शीर्षक शिवानी बखशी एवं अन्य बनाम जम्मू एवं कश्मीर राज्य एवं अन्य।	यह अपील उन अभ्यर्थियों द्वारा दायर की गई है, जिन्हें दिनांक 08.09.2009 की चयन सूची के माध्यम से ओपन मेरिट श्रेणी में तथा पिछड़े क्षेत्रों के निवासियों (RBA) के लिए आरक्षित पदों पर चयनित किया गया था।
5.	विशेष अनुमति याचिका (सिविल) संख्या 967-975 वर्ष 2022	आक्षेपित निर्णय एवं आदेश दिनांक 29 अक्टूबर 2021, जो जम्मू एवं कश्मीर तथा लद्दाख उच्च न्यायालय, श्रीनगर द्वारा	एलपीए संख्याएं: 277 वर्ष 2015, 12 वर्ष 2016, 97 वर्ष 2016, 98 वर्ष 2016, 134 वर्ष 2016, 135 वर्ष 2016, 278 वर्ष 2015, 279 वर्ष 2015	अपीलें श्री गगन भारद्वाज द्वारा दायर की गई हैं, जिन्हें दिनांक 08.09.2009 की चयन सूची के माध्यम से अन्य सामाजिक श्रेणी (OSC) में

		पारित किया गया।	तथा 105 वर्ष 2016	चयनित किया गया था।
6.	डायरी संख्या 1194/2022	आक्षेपित निर्णय एवं आदेश दिनांक 29 अक्टूबर 2021, जो जम्मू एवं कश्मीर तथा लद्दाख उच्च न्यायालय, श्रीनगर द्वारा पारित किया गया।	एलपीए संख्याएं: 279/2015, 134/2016 तथा 135/2016	यह अपील उन व्यक्तियों द्वारा दायर की गई है, जिन्हें दिनांक 08.09.2009 की चयन सूची के माध्यम से अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति तथा वास्तविक नियंत्रण रेखा (A.L.C.) के निवासियों की श्रेणी में चयनित किया गया था।
7.	विशेष अनुमति याचिका (सिविल) संख्या 2642-2650 वर्ष 2022	एलपीए संख्याएं: 277 वर्ष 2015, 12 वर्ष 2016, 97 वर्ष 2016, 98 वर्ष 2016, 134 वर्ष 2016, 135 वर्ष 2016, 278 वर्ष 2015, 279 वर्ष 2015 तथा 105 वर्ष 2016	आक्षेपित निर्णय एवं आदेश दिनांक 29 अक्टूबर 2021, जो जम्मू एवं कश्मीर तथा लद्दाख उच्च न्यायालय, श्रीनगर द्वारा पारित किया गया।	ये अपीलें जम्मू और कश्मीर राज्य (अब जम्मू और कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश) तथा सरकार के आयुक्त/सचिव, स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा विभाग, जम्मू और कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश, श्रीनगर द्वारा

				दायर की गई हैं।
8.	विशेष अनुमति याचिका (सिविल) संख्या 3930-3932 वर्ष 2022	आक्षेपित निर्णय एवं आदेश दिनांक 29 अक्टूबर 2021, जो जम्मू एवं कश्मीर तथा लद्दाख उच्च न्यायालय, श्रीनगर द्वारा पारित किया गया।	एलपीए संख्याएं: 97/2016, 98/2016 तथा 105/2016	ये अपीलें जम्मू और कश्मीर अधीनस्थ सेवा चयन एवं भर्ती बोर्ड द्वारा दायर की गई हैं।
9.	विशेष अनुमति याचिका (सिविल) संख्या 4359-4364	आक्षेपित निर्णय एवं आदेश दिनांक 29 अक्टूबर 2021, जो जम्मू एवं कश्मीर तथा लद्दाख उच्च न्यायालय, श्रीनगर द्वारा पारित किया गया।	एलपीए संख्याएं: 277 वर्ष 2015, 12/2016, 134/2016, 135/2016, 278/2015 तथा 279/2015	ये अपीलें जम्मू और कश्मीर अधीनस्थ सेवा चयन एवं भर्ती बोर्ड द्वारा दायर की गई हैं।

6. हमने एसएलपी (सी) संख्या 20781-20789/ 2021 में अपीलकर्ताओं की ओर से उपस्थित विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता श्री रंजीत कुमार और विद्वान अधिवक्ता श्री शोएब आलम, डायरी संख्या 1194/ 2022 में अपीलकर्ताओं की ओर से उपस्थित विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता श्री संजय हेगड़े, एसएलपी (सी) संख्या 20790-20798/ 2021 में अपीलकर्ताओं की ओर से उपस्थित विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता श्री पी.एस. पटवालिया, बोर्ड की ओर से उपस्थित विद्वान अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल श्रीमती माधवी गोरडिया दीवान और प्रतिवादी-याचिकाकर्ताओं की ओर से उपस्थित विद्वान अधिवक्ता सुश्री एस. जननी और संबंधित पक्षों के लिए उपस्थित

अन्य विद्वान अधिवक्ताओं की दलीलें सुनीं और रिकॉर्ड पर मौजूद सामग्री का अवलोकन किया।

दलीलें:

7. कुछ अपीलकर्ताओं की ओर से उपस्थित विद्वान अधिवक्ता श्री शोएब आलम ने प्रारंभ में यह निवेदन किया कि श्रीनगर स्थित जम्मू और कश्मीर एवं लद्दाख उच्च न्यायालय का दिनांक 29 अक्टूबर, 2021 का विवादित निर्णय कानून और तथ्यों की गलत व्याख्या पर आधारित है और इसलिए इस न्यायालय द्वारा इसमें हस्तक्षेप की आवश्यकता है।

7.1. यह निवेदन किया गया कि यह सर्वविदित तथ्य है कि ऐसा कोई नियम या अधिसूचना नहीं है जो चयन समिति के लिए व्यक्तिगत पुरस्कार सूचियों को रखने या अंतिम पुरस्कार सूचियों पर सदस्यों के हस्ताक्षर कराने की किसी प्रक्रिया या आवश्यकता को निर्धारित करता हो। चयन अभिलेखों के आधार पर अंतिम चयन सूची तैयार की गई और चयन अभिलेखों का अवलोकन करने के बाद चयन समिति के दो सदस्यों सहित बोर्ड के सभी सात सदस्यों के हस्ताक्षरों द्वारा इसे अनुमोदित किया गया। उम्मीदवारों के व्यक्तिगत आधार पर की गई गणनाओं का अभिलेखों के संदर्भ में सत्यापन किया गया था। समेकित अंक स्वयं बोर्ड के अध्यक्ष द्वारा कंप्यूटर में दर्ज किए गए थे और बोर्ड के एक अन्य सदस्य द्वारा उनकी जाँच की गई थी। इस आधार पर तैयार की गई अंतिम चयन सूची को चयन अभिलेख की जाँच के बाद बोर्ड के सभी सदस्यों के हस्ताक्षरों के साथ अनुमोदित किया गया था। हालांकि, एकल न्यायाधीश ने इसका उल्लेख नहीं किया। इस प्रकार, विवादित आदेश और एकल न्यायाधीश का वह आदेश जिसमें अपीलकर्ताओं के संपूर्ण चयन को इस आधार पर रद्द कर दिया गया कि निर्धारित प्रक्रिया का पालन नहीं किया गया था और चयन समिति द्वारा किए गए चयन संदिग्ध थे, त्रुटिपूर्ण और कानून के विपरीत है।

यह तर्क देने के लिए **भारतीय रिज़र्व बैंक बनाम सी.एल. तोरा, (2004) 4 एससीसी 657** का हवाला दिया गया कि जहां चयन समिति के लिए कोई प्रक्रिया निर्धारित नहीं है, वहां वह अपनी स्वयं की प्रक्रिया बना सकती है जो उचित हो और मनमानी न हो।

7.2. आगे यह तर्क दिया गया कि यह कानून की एक स्थापित स्थिति है कि जब कोई चयन समिति किसी व्यक्ति के चयन की सिफारिश करती है, तो पक्षपात या पूर्वाग्रह के किसी भी आरोप के अभाव में यह अनुमान नहीं लगाया जा सकता कि यह गलत या यांत्रिक तरीके से किया गया है। चयन समिति के निर्णय की शुद्धता के संबंध में एक अनुमान उत्पन्न होता है

और पक्षपात या पूर्वाग्रह का आरोप लगाने वाले पक्ष को इसे साबित करना आवश्यक है। इस प्रकार, सदस्यों के विरुद्ध दुर्भावना के अभाव में, चयन समिति द्वारा चयन पर संदेह नहीं किया जा सकता है। अपने तर्क को पुष्ट करने के लिए, विद्वान वकील ने *यूनियन ऑफ इंडिया बनाम बिकाश कुआनार, (2006) 8 एससीसी 192; सदानंद हालो बनाम मुमताज अली शेख, (2008) 4 एससीसी 619 (सदानंद हालो) और मैसूर विश्वविद्यालय बनाम सी.डी. गोविंदा राव, (1964) 4 एससीआर 575 पर भरोसा किया।*

7.3. यह तर्क दिया गया कि चयन अभिलेखों के किसी भी भाग की अनुपलब्धता के संदर्भ में इस न्यायालय ने *त्रिवेदी हिमांशु घनश्यामभाई बनाम अहमदाबाद नगर निगम, (2007) 8 एससीसी 644 (त्रिवेदी हिमांशु घनश्यामभाई)* मामले में यह माना है कि केवल इसलिए कि अभिलेख अनुपलब्ध होने के कारण प्रस्तुत नहीं किए जा सके, चयन समिति के सदस्यों के विरुद्ध दुर्भावना का कोई निष्कर्ष नहीं निकाला जा सकता है और चयन को रद्द नहीं किया जा सकता है। इस संबंध में यह निवेदन किया गया कि विवादित निर्णय और एकल न्यायाधीश का वह निर्णय, जिसमें बोर्ड द्वारा अंतिम चयन सूची के हस्ताक्षरित अनुमोदन के बावजूद, व्यक्तिगत पुरस्कार सूचियों की अनुपलब्धता के कारण अपीलकर्ताओं के संपूर्ण चयन को रद्द कर दिया गया है, कानून के विपरीत है। दुर्भावना सिद्ध करने का भार आरोप लगाने वाले व्यक्ति पर भारी पड़ता है।

और दुर्भावना के आरोप अक्सर सिद्ध करने की तुलना में आसानी से लगाए जाते हैं, और ऐसे आरोपों की गंभीरता के लिए उच्च कोटि की विश्वसनीयता का प्रमाण आवश्यक है, देखें *इंडियन रेलवे कंस्ट्रक्शन कंपनी लिमिटेड बनाम अजय कुमार, (2003) 4 एससीसी 579; बिहार राज्य बनाम पी.पी. शर्मा, (1992 अनुपूरक (1) एससीसी 222); अजीत कुमार नाग बनाम इंडियन ऑयल*

कॉर्पोरेशन लिमिटेड, (2005) 7 एससीसी 764; भारत संघ बनाम अशोक कुमार, (2005) 8 एससीसी 760

7.4. अपीलकर्ताओं की ओर से आगे यह तर्क दिया गया कि चयन समिति या बोर्ड द्वारा चयन और नियुक्ति के कारणों को दर्ज करने के लिए किसी नियम या विनियम के अभाव में, व्यक्तिगत पुरस्कार रोल की कमी के कारण चयन प्रक्रिया में कोई त्रुटि नहीं पाई जा सकती।

इस संबंध में *नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ मेंटल हेल्थ एंड न्यूरो साइंसेज बनाम डॉ. के. कल्याणा रामन, 1992 सप्लीमेंट (2) एससीसी 481; बी.सी. मैलारप्पा बनाम डॉ. आर. वेंकटसुब्बैया,*

(2008) 14 एससीसी 306; बैद्यनाथ यादव बनाम आदित्य नारायण राँय, (2020) 16 एससीसी 799; मोहम्मद मुस्तफा बनाम यूनियन ऑफ इंडिया, (2022) 1 एससीसी 294 (मोहम्मद मुस्तफा) पर भरोसा किया गया।

7.5. यह तर्क दिया गया कि न्यायिक समीक्षा की शक्ति रिट याचिका में दिए गए कथनों से परे सूक्ष्म जांच करने तक विस्तारित नहीं होती है। *सदानंद हालो* मामले का हवाला देते हुए यह तर्क दिया गया कि इस न्यायालय ने यह माना है कि रिट याचिका में तथ्यात्मक पहलुओं पर विस्तृत और सूक्ष्म जांच अनुमेय नहीं है कि रिट न्यायालय स्वयं को तथ्य- खोज आयोग के रूप में स्थापित नहीं कर सकता और उन तथ्यों और सूक्ष्म विवरणों की गहराई में नहीं जा सकता, जो दलीलों के माध्यम से नहीं बल्कि अनावश्यक जांच के आधार पर सामने आते हैं। वर्तमान मामले में, उच्च न्यायालय ने चयन अभिलेखों को मंगवाया, उनकी जांच की, तथ्य-खोज प्रक्रिया अपनाई और विशिष्ट व्यक्तियों के लिए सूक्ष्म निष्कर्ष दिए, और यह सब दलीलों के आधार पर नहीं किया गया। इस प्रकार, वर्तमान मामला इस बात का एक सटीक उदाहरण है कि संविधान के अनुच्छेद 226 के तहत अपनी शक्तियों का प्रयोग करते हुए रिट न्यायालय को क्या नहीं करना चाहिए।

7.6. इसलिए यह तर्क दिया गया कि उच्च न्यायालय अनुच्छेद 226 के तहत उम्मीदवारों के चयन/चयन प्रक्रिया पर अपीलीय प्राधिकारी के रूप में कार्य नहीं कर सकता। अपने तर्क को पुष्ट करने के लिए, विद्वान वकील ने *मदन लाल बनाम जम्मू-कश्मीर राज्य, (1995) 3 एससीसी 486 (मदन लाल)* का हवाला दिया, जिसमें इस न्यायालय ने माना था कि अधिक अंक दिए जाने चाहिए या नहीं, यह तय करना विशेषज्ञ समिति का अनन्य अधिकार क्षेत्र है और न्यायालय समिति द्वारा किए गए मूल्यांकन पर अपील न्यायालय के रूप में कार्य नहीं कर सकता। यह तर्क देने के लिए कि यह स्थापित कानून है कि रिट न्यायालय अपीलीय न्यायालय नहीं है, *यूनियन ऑफ इंडिया बनाम बिलाश चंद जैन, (2009) 16 एससीसी 601* पर भी भरोसा किया गया। इस प्रकार, उच्च न्यायालय ने अपीलकर्ताओं के चयन को रद्द करते हुए रिट क्षेत्राधिकार का उल्लंघन किया।

7.7. यह तर्क दिया गया कि चयन प्रक्रिया और साक्षात्कार में भाग लेने वाले व्यक्ति असफल होने पर इसे चुनौती नहीं दे सकते, क्योंकि उनके पास चुनौती देने का कोई कारण नहीं है और उनके द्वारा दायर रिट याचिका विचारणीय नहीं है, देखें *मदन लाल; अनुपाल सिंह बनाम उत्तर प्रदेश राज्य, (2020) 2 एससीसी 173; सदानंद हालो और मोहम्मद मुस्तफा डी. सरोजाकुमारी बनाम आर. हेलेन थिलाकोम, (2017) 9 एससीसी 478* पर भी भरोसा जताया गया। वर्तमान

मामले में, किसी भी रिट याचिकाकर्ता का चयन योग्यता के आधार पर नहीं हुआ था और वे प्रतीक्षा सूची में भी नहीं थे, इसलिए उनके द्वारा दायर रिट याचिकाएं किसी भी आधार के अभाव में विचारणीय नहीं हैं।

7.8. विद्वान वकील श्री शोएब आलम ने प्रस्तुत किया कि चयन प्रक्रिया की वैधता को नकारने वाली बड़े पैमाने पर व्यवस्थित अनियमितता के अभाव में, संपूर्ण चयन को रद्द नहीं किया जा सकता है। इस न्यायालय ने *सचिन कुमार बनाम दिल्ली अधीनस्थ सेवा चयन बोर्ड, (2021) 4 एससीसी 631; इंदरप्रीत सिंह कहलों बनाम पंजाब राज्य, (2006) 11 एससीसी 356; भारत संघ बनाम राजेश पी.यू., (2003) 7 एससीसी 285 (राजेश पी.यू.)* में यह माना है कि जो लोग गलत काम के निर्दोष हैं, उन्हें उन लोगों की कीमत नहीं चुकानी चाहिए जो वास्तव में अनियमितताओं में शामिल पाए गए हैं, और इसलिए, अनियमितताओं के विशिष्ट मामलों के लिए संपूर्ण चयन प्रक्रिया को रद्द नहीं किया जा सकता है। यह प्रस्तुत किया गया कि जब तक चयन की निष्पक्षता को प्रभावित करने वाली और समान अवसर से वंचित करने वाली कोई व्यवस्थित गड़बड़ी न हो, तब तक निर्दोष और योग्य उम्मीदवारों की नियुक्ति छीनकर संपूर्ण चयन प्रक्रिया को रद्द नहीं किया जा सकता है।

7.9. यह विशेषज्ञ समिति के अनन्य अधिकार क्षेत्र में था कि वह उम्मीदवारों को अधिक अंक दिए जाने का निर्णय ले, और इसलिए, यह रिट न्यायालय के समक्ष चुनौती का विषय नहीं हो सकता, क्योंकि यह समिति द्वारा साक्षात्कार किए गए उम्मीदवारों के संबंध में किए गए मूल्यांकन पर अपील न्यायालय के रूप में कार्य नहीं करता है। इस तर्क को पुष्ट करने के लिए, विद्वान वकील ने इस न्यायालय के *मदन लाल और अशोक कुमार यादव बनाम हरियाणा राज्य (1985) 4 एससीसी 417* के निर्णय का हवाला दिया।

7.10. इसके बाद यह तर्क दिया गया कि अपीलकर्ता 12 नवंबर, 2009 को अपनी नियुक्ति के बाद से, यानी 13 वर्षों से अधिक समय से, ड्रग इंस्पेक्टर के रूप में कार्यरत हैं, उनके खिलाफ कोई शिकायत नहीं है और किसी भी समय उनकी ओर से कोई गलती नहीं पाई गई है। इस प्रकार, उनकी नियुक्ति को उनकी लंबी सेवा अवधि के कारण रद्द नहीं किया जाना चाहिए। इसके अलावा, याचिकाकर्ता अब उस उम्र में हैं जहां वे कोई वैकल्पिक रोजगार हासिल नहीं कर पाएंगे, देखें *बुद्धि नाथ चौधरी बनाम अबाही कुमार, (2001) 3 एससीसी 328*

7.11. चयन प्रक्रिया को चुनौती देने वाली रिट याचिकाएँ

विचारणीय नहीं थीं, क्योंकि उनमें खामी थी और सभी नियुक्त व्यक्तियों को पक्षकार नहीं बनाया गया था।

7.12. विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता श्री पटवालिया ने श्री पंकज मल्होत्रा, श्री आशीष गुप्ता और सुश्री रूमीसा मोहम्मद के चयन के संबंध में विशिष्ट दलीलें दीं। उन्होंने कहा कि उपरोक्त तीनों व्यक्तियों के चयन में कोई विसंगति नहीं है, जैसा कि उच्च न्यायालय ने संदेह व्यक्त किया है, क्योंकि एम. फार्मा डिग्री के लिए कोई वेटेज न जोड़ने पर भी तीनों व्यक्ति चयन सूची में आसानी से स्थान पा सकते हैं। रिट न्यायालय द्वारा उपर्युक्त तीनों व्यक्तियों के चयन में कथित अनियमितताओं के संबंध में, याचिकाकर्ताओं के वरिष्ठ अधिवक्ता ने निम्नलिखित प्रस्तुत किया:

- i) रूमीसा मोहम्मद: उनके एम. फार्मा डिग्री को चयन के समय महत्व नहीं दिया गया था क्योंकि उनके विश्वविद्यालय द्वारा उक्त डिग्री के लिए उन्हें ग्रेड आवंटित किए गए थे और इन ग्रेडों को प्रतिशत में परिवर्तित करने का सूत्र ज्ञात नहीं था। इस प्रकार के महत्व के बिना भी, उनका चयन 17वीं रैंक पर हुआ था। बाद में, उन्होंने बोर्ड को रूपांतरण सूत्र के साथ एक अभ्यावेदन दिया, जिसके परिणामस्वरूप 30 नवंबर, 2010 के आदेश द्वारा उनकी एम. फार्मा डिग्री को महत्व दिया गया और उनकी रैंक 17 से संशोधित होकर 4 हो गई।
- ii) आशीष गुप्ता: अंतिम पुरस्कार सूची में यह टिप्पणी दर्ज है कि उनकी एम. फार्मा की डिग्री बाबा मस्त नाथ विश्वविद्यालय और विनायका मिशन से थी। समिति के पास उनकी डिग्री थी, लेकिन उसे डिग्री जारी करने वाले संस्थान के बारे में स्पष्टीकरण की आवश्यकता थी क्योंकि बाबा मस्त नाथ विश्वविद्यालय की मान्यता रद्द कर दी गई थी और उन्हें न्यायालय के आदेशों के तहत विनायका मिशन में स्थानांतरित कर दिया गया था। यह प्रस्तुत किया गया कि उन्होंने अपनी डिग्री विनायका मिशन से प्राप्त की थी और यदि उनकी एम. फार्मा डिग्री को कोई वेटेज नहीं भी दिया जाता, तो भी चयन सूची में उनकी रैंक 14 से 29 हो जाती, जबकि कटऑफ रैंक 42 थी।
- iii) पंकज मल्होत्रा: यह प्रस्तुत किया गया कि वे अपने आवेदन के साथ अपनी मार्कशीट संलग्न नहीं कर सके क्योंकि उन्हें अंतिम मार्कशीट आवेदन जमा करने के बाद ही प्राप्त हुई थी, हालांकि, उन्होंने साक्षात्कार के समय एम. फार्मा पाठ्यक्रम की अपनी अंतिम मार्कशीट प्रस्तुत की। वे मूल डिग्री प्रस्तुत नहीं कर सके क्योंकि तब तक

वह जारी नहीं हुई थी, हालांकि उन्होंने पाठ्यक्रम उत्तीर्ण कर लिया था। इस प्रकार, उन्होंने साक्षात्कार के समय एम. फार्मा की योग्यता "प्राप्त" कर ली थी। यदि उनकी एम. फार्मा डिग्री को कोई महत्व नहीं दिया जाता, तब भी चयन सूची में उनकी रैंक 2 से बढ़कर 14 हो जाती और कटऑफ रैंक 42 थी।

8. डायरी संख्या 1194/2022 के अपीलकर्ताओं, अर्थात् अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और वास्तविक नियंत्रण रेखा (ए.एल.सी.) के निवासियों की ओर से अपीलकर्ताओं के वरिष्ठ अधिवक्ता श्री संजय हेगड़े ने प्रस्तुत किया कि उच्च न्यायालय की खंडपीठ ने प्रतिवादी बोर्ड द्वारा 8 सितंबर, 2009 को प्रकाशित चयन सूची को रद्द करने और निरस्त करने में त्रुटि की है, जिससे उसके तहत की गई सभी नियुक्तियाँ निरस्त हो गईं। उन्होंने कहा कि चयन सूची सही थी क्योंकि इसे बोर्ड द्वारा विधिवत प्रक्रिया का पालन करने के बाद प्रकाशित किया गया था और समय बीतने के साथ ही चयन सूची अंतिम हो चुकी है।

8.1. आगे यह निवेदन किया गया कि रिट न्यायालय के समक्ष सुनवाई का अवसर न दिए जाने और पक्षकारों को शामिल न किए जाने के आधार पर उनकी नियुक्तियों को रद्द किए जाने के कारण विवादित निर्णय को निरस्त किया जाना आवश्यक है। उच्च न्यायालय द्वारा संपूर्ण चयन सूची और उससे संबंधित नियुक्तियों को रद्द करना उचित नहीं था, क्योंकि डायरी संख्या 1194/2022 में अपीलकर्ताओं के संबंध में ऐसी कोई प्रार्थना विचारणीय नहीं थी, क्योंकि ऐसे व्यक्तियों के विरुद्ध कोई शिकायत नहीं थी। ऐसे अपीलकर्ताओं के चयन/नियुक्ति को प्रतिवादियों/असफल उम्मीदवारों द्वारा कभी भी चुनौती नहीं दी गई थी और वे किसी भी रिट याचिका में पक्षकार नहीं थे, इस प्रकार प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों का उल्लंघन हुआ और रिट याचिकाएं आवश्यक पक्षकारों को शामिल न किए जाने के कारण त्रुटिपूर्ण थीं।

8.2. आगे यह तर्क दिया गया कि चयनित न होने वाले उम्मीदवारों में से कोईभी ऐसा नहीं था जो याचिकाकर्ताओं के चयन को चुनौती दे सकता था, क्योंकि वे अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जाति और वास्तविक नियंत्रण रेखा (एएलसी) के निवासी हैं। 5 मई, 2008 के विज्ञापन नोटिस में अनुसूचित जनजाति श्रेणी के सात पद, अनुसूचित जाति श्रेणी के छह पद और एएलसी के

भीतर या उसके आस-पास रहने वाले उम्मीदवारों के दो पद विज्ञापित किए गए थे।

अनुसूचित जनजाति और अनुसूचित जाति श्रेणी के अंतर्गत विज्ञापित पदों की संख्या की तुलना में उम्मीदवारों की संख्या कम थी। एएलसी श्रेणी के पदों के संबंध में, यह तर्क दिया गया कि दो पदों के लिए केवल तीन उम्मीदवारों ने आवेदन किया था और एएलसी श्रेणी के अंतर्गत एक असफल उम्मीदवार ने एएलसी श्रेणी के याचिकाकर्ताओं के चयन को कभी चुनौती नहीं दी। यह तथ्य बोर्ड द्वारा ड्रग इंस्पेक्टर के रूप में नियुक्ति के लिए चौंसठ उम्मीदवारों की सिफारिश करते समय जारी की गई चयन सूची से स्पष्ट था।

अनुसूचित जनजाति के सात पदों में से चार पद और अनुसूचित जाति के छह पदों में से तीन पद उम्मीदवारों की अनुपलब्धता के कारण रिक्त रह गए।

8.3. यह तर्क दिया गया कि यह तथ्य कि ऐसे अपीलकर्ताओं को कभी पक्षकार नहीं बनाया गया और फिर भी संपूर्ण चयन प्रक्रिया रद्द कर दी गई, स्वयं ही डायरी संख्या 1194/2022 के अपीलकर्ताओं के संबंध में विवादित निर्णय को रद्द करने का एक स्वतंत्र कारण और आधार है। विवादित निर्णय ने आवश्यक पक्षकार के रूप में शामिल न किए जाने के बावजूद ऐसे अपीलकर्ताओं के भाग्य का फैसला कर दिया।

उपरोक्त दलीलों के साथ, यह प्रार्थना की गई कि वर्तमान अपीलें स्वीकार की जाएं और उच्च न्यायालय का दिनांक 29 अक्टूबर, 2021 का विवादित निर्णय और विद्वान एकल न्यायाधीश का दिनांक 18 दिसंबर, 2015 का निर्णय रद्द किया जाए।

9. बोर्ड की ओर से उपस्थित विद्वान सहायक न्यायाधीश सुश्री माधवी गोरडिया दीवान ने प्रस्तुत किया कि न तो विद्वान एकल न्यायाधीश और न ही खंडपीठ ने चयन समिति के सदस्यों के विरुद्ध कोई दुर्भावना पाई, और खंडपीठ ने सर्वसम्मति से यह भी पाया कि कोई न्यायालय चयन समिति का स्थान नहीं ले सकता या मौखिक परीक्षा में चयन समिति द्वारा दिए गए अंकों की अत्यधिकता और उसमें प्रदर्शन के अनुरूप न होने की जाँच के लिए अपीलिय भूमिका नहीं निभा

सकता। अतः, चयन समिति के सदस्यों के विरुद्ध दुर्भावना के संबंध में किसी भी निष्कर्ष के बिना, चयन प्रक्रिया को रद्द करना उचित नहीं होगा।

9.1. आगे यह भी प्रस्तुत किया गया कि चयन समिति का गठन 1992 के नियमों के नियम 9 के अनुसार किया गया था। नियम 9(1) में स्पष्ट रूप से कहा गया है कि बोर्ड का अध्यक्ष एक समिति का नामांकन कर सकता है जिसमें राज्य कैंडिडेट में नियुक्त किए जाने वाले उम्मीदवारों के चयन के उद्देश्य से परीक्षा आयोजित करने, साक्षात्कार लेने और परीक्षण करने के लिए बोर्ड के एक या अधिक सदस्य शामिल होंगे। इसके अतिरिक्त, नियम 9(iii) अध्यक्ष को यह अधिकार देता है कि यदि आवश्यक हो, तो वह चयन समिति में उस विषय के विशेषज्ञ/विशेषज्ञ को शामिल कर सकता है जिसमें भर्ती की जानी है।

इस प्रकार, यह सुनिश्चित करने के लिए कि योग्य उम्मीदवारों का चयन निष्पक्षता और पारदर्शिता के साथ किया जाए, चयन समिति में (i) बोर्ड के अध्यक्ष (एक आईएएस अधिकारी); (ii) बोर्ड के एक सदस्य (कश्मीर प्रशासनिक अधिकारी); और (iii) एक विशेषज्ञ/विशेषज्ञ शामिल थे जो श्रीनगर के सरकारी मेडिकल कॉलेज में सहायक प्रोफेसर के रूप में कार्यरत थे। यह तर्क दिया गया कि यदि कुछ उम्मीदवारों को लाभ पहुंचाने के लिए मौखिक परीक्षा के अंकों में हेरफेर करने का कोई गुप्त उद्देश्य था, तो बोर्ड के अध्यक्ष उम्मीदवारों के चयन के लिए मौखिक परीक्षा आयोजित करने हेतु केवल स्वयं को शामिल करते हुए एक सदस्यीय समिति का गठन कर सकते थे।

9.2. आगे यह तर्क दिया गया कि तीन सदस्यीय चयन समिति के प्रत्येक सदस्य ने व्यक्तिगत रूप से प्रत्येक उम्मीदवार का मूल्यांकन किया और मौखिक परीक्षा में अंक दिए, जिनका औसत तीन से भाग देकर निकाला गया। मौखिक परीक्षा में उम्मीदवारों को दिए गए अंकों, जैसे 11.67, 13.67, 11.33 आदि से यह बात स्पष्ट होती है।

9.3. चयन समिति के विशेषज्ञ सदस्य द्वारा दिए गए अंकों के संबंध में, विद्वान सहायक न्यायाधीश ने न्यायालय के ध्यान में विद्वान एकल न्यायाधीश द्वारा दिनांक 18 दिसंबर, 2015 को पारित आदेश को लाया, जिसमें स्पष्ट रूप से

कहा गया था कि न्यायिक समीक्षा की शक्ति का प्रयोग करते समय न्यायालय चयन समिति का स्थान नहीं ले सकता और न ही मौखिक परीक्षा में चयन समिति द्वारा दिए गए अंक अत्यधिक थे और परीक्षा में प्रदर्शन के अनुरूप नहीं थे, इसकी जांच करने में अपील की भूमिका निभा सकता है।

इसके अतिरिक्त, प्रतिवादियों ने उपरोक्त निष्कर्ष को चुनौती देते हुए अपील/एलपीए दायर नहीं किया और वास्तव में, चयन समिति द्वारा आवंटित अंकों के संबंध में विद्वान एकल न्यायाधीश की उपरोक्त टिप्पणी को डिवीजन बेंच ने भी बरकरार रखा।

विद्वान एसजी ने आगे प्रस्तुत किया कि प्रतिवादियों द्वारा डिवीजन बेंच की उस टिप्पणी को चुनौती देते हुए कोई एसएलपी दायर नहीं की गई थी जिसमें चयन समिति द्वारा मौखिक परीक्षा में अंक प्रदान करने के संबंध में प्रयोग किए गए विवेकाधिकार का उल्लेख था। इस प्रकार, यह टिप्पणी कि चयन समिति द्वारा मौखिक परीक्षा में दिए गए अंकों की समीक्षा वर्तमान मामले के तथ्यों और परिस्थितियों में न्यायालय द्वारा नहीं की जा सकती, अंतिम हो चुकी है।

9.4. विद्वान एसजी ने *जसविंदर सिंह बनाम जम्मू-कश्मीर राज्य, (2003) 2 एससीसी 132* पर भरोसा जताया, जिसमें यह माना गया था कि चयन के लिए गठित बोर्ड या बोर्ड में किसी के भी खिलाफ दुर्भावना या पक्षपात के किसी विशिष्ट आरोप के अभाव में, यह नहीं माना जा सकता कि कुछ उम्मीदवारों को चयन क्षेत्र में लाने के लिए जानबूझकर प्रयास किया गया था। यह भी माना गया कि कुछ नगण्य उदाहरणों को चुनकर चयन विधि या अंततः किए गए चयनों को रद्द नहीं किया जा सकता। उक्त मामले में यह भी कहा गया था कि इस बात की कोई गारंटी नहीं है कि लिखित परीक्षा में अच्छा प्रदर्शन करने वाला व्यक्ति मौखिक परीक्षा में भी अच्छा प्रदर्शन करेगा या ऐसा माना जाना चाहिए।

9.5. विद्वान एसजी ने भर्ती और चयन के लिए निर्धारित 1992 के नियमों के नियम 10 का हवाला देते हुए तर्क दिया कि ड्रग इंस्पेक्टरों की नियुक्ति के लिए कोई निर्धारित प्रक्रिया नहीं है। नियम 10(i) में कहा गया है कि बोर्ड नियमों के

तहत निर्धारित परीक्षणों या परीक्षाओं के बाद चयन को अंतिम रूप देगा, या यदि ऐसे कोई नियम नहीं हैं, तो बोर्ड द्वारा आवश्यक समझे जाने वाले परीक्षणों या परीक्षाओं के बाद चयन करेगा। इस प्रकार, यह स्पष्ट है कि ड्रग इंस्पेक्टरों के चयन के लिए कोई नियम निर्धारित नहीं किए गए हैं और निर्धारित नियमों के अभाव में, चयन समिति और बोर्ड ने चयन प्रक्रिया को निष्पक्ष और पारदर्शी तरीके से संचालित किया। केवल इस आधार पर कि फरवरी 2015 में एकल न्यायाधीश द्वारा मामला रिकॉर्ड मंगवाए जाने पर वह उपलब्ध नहीं था, यानी चयन/नियुक्तियों के 6 वर्ष बाद, पूरी चयन प्रक्रिया को रद्द नहीं किया जा सकता।

त्रिवेदी हिमांशु घनश्यामभाई के मामले पर भरोसा जताया गया, जिसमें यह माना गया था कि मात्र इसलिए कि अभिलेख खो जाने और अनुपलब्ध होने के कारण प्रस्तुत नहीं किए जा सके, नियुक्ति रद्द नहीं की जा सकती।

9.6. पंकज मल्होत्रा, रुमेसा मोहम्मद और आशीष गुप्ता के चयन के संबंध में, विद्वान सहायक न्यायाधीश ने प्रस्तुत किया कि एकल न्यायाधीश द्वारा अपने निर्णय के अनुच्छेद 16 में दिया गया यह निष्कर्ष कि चयन समिति ने कुछ उम्मीदवारों को उन डिग्रियों के लिए महत्व दिया था जो उनके पास नहीं थीं, त्रुटिपूर्ण था।

यह प्रस्तुत किया गया कि श्री पंकज मल्होत्रा ने चयन समिति के समक्ष अपनी एम. फार्मा की डिग्री प्रस्तुत की थी और साक्षात्कार की तिथि पर इस पर विचार किया गया था। इसके अलावा, उच्च न्यायालय ने इस तथ्य को नजरअंदाज कर दिया कि यदि एम. फार्मा डिग्री के आधार पर चयन समिति द्वारा दिए गए अंकों को भी हटा दिया जाए, तो भी उम्मीदवार का चयन हो जाएगा, भले ही उसकी रैंक क्रमांक 2 से घटकर क्रमांक 14 हो जाएगी।

दूसरा, सुश्री रुमेसा मोहम्मद के मामले में, उनकी एम. फार्मा डिग्री के अंक उनके अंतिम स्कोर में नहीं जोड़े गए थे और इस त्रुटि को बाद में बोर्ड द्वारा 30 नवंबर, 2010 की अधिसूचना जारी करके सुधारा गया, जिससे चयन सूची में सुश्री रुमेसा मोहम्मद की रैंक क्रमांक 17 से बदलकर क्रमांक 4 हो गई। यह अधिसूचना रिकॉर्ड का हिस्सा थी।

तीसरा, श्री आशीष गुप्ता के मामले में, उन्हें एम. फार्मा डिग्री होने के कारण सही अंक दिए गए थे, जिसे आवेदन पत्र के साथ अंतिम तिथि से पहले जमा किया गया था।

उपरोक्त कथनों के आधार पर यह तर्क दिया गया कि वर्तमान अपीलों को स्वीकार किया जाए और उच्च न्यायालय के विवादित निर्णयों को रद्द किया जाए।

10. इसके विपरीत, उच्च न्यायालय के समक्ष याचिकाकर्ताओं (प्रतिवादियों) की ओर से उपस्थित विद्वान अधिवक्ता सुश्री एस. जननी ने उच्च न्यायालय के विवादित निर्णयों का समर्थन किया और प्रस्तुत किया कि इन निर्णयों में इस न्यायालय द्वारा किसी हस्तक्षेप की आवश्यकता नहीं है क्योंकि ये निर्णय कानून और तथ्यों के निर्विवाद मूल्यांकन के आधार पर पारित किए गए थे।

10.1. यह तर्क दिया गया कि गठित चयन समिति दोषपूर्ण और अपर्याप्त थी क्योंकि अध्यक्ष ने एक विशेषज्ञ को चुना और चयन समिति में डॉ. समीना फरहत को शामिल किया, जो पेशे से डॉक्टर थीं और उनके पास फार्माकोलॉजी में एम.डी. और पी.एच.डी. की उपाधियाँ थीं। फार्माकोलॉजी में एक डॉक्टर की भूमिका नई दवाओं पर शोध, विकास और परीक्षण करने के साथ-साथ नई दवाओं की खोज के लिए नैदानिक परीक्षण चलाने की होती है। दूसरी ओर, एक औषधि निरीक्षक की जिम्मेदारी यह निरीक्षण करना है कि क्या दवाएँ स्वच्छता, स्पष्टता और ग्रेडिंग के कानूनी मानकों का पालन करती हैं। उन्हें यह सुनिश्चित करने का कार्य सौंपा गया है कि लाइसेंसिंग की शर्तों का पालन किया जा रहा है और यदि यह संदेह करने का कोई कारण है कि दवा अधिनियम या नियमों के उल्लंघन में बेची या भंडारित की जा रही है, तो उन्हें दवा प्राप्त करके परीक्षण या विश्लेषण के लिए भेजनी होगी। इस प्रकार, प्रतिवादियों के विद्वान वकील ने दावा किया कि अध्यक्ष द्वारा चयनित विशेषज्ञ को उस विषय में विशेषज्ञ या विशेषज्ञ नहीं कहा जा सकता है जिसमें भर्ती की जा रही थी।

10.2. आगे यह तर्क दिया गया कि पात्रता मानदंड बीच में ही बदल दिए गए थे। प्रारंभ में, पात्रता मानदंड के अनुसार समकक्ष योग्यता को केंद्र सरकार द्वारा मान्यता

प्राप्त और अधिसूचित होना आवश्यक था। हालांकि, अनुमोदित मानदंडों में इसे हटा दिया गया।

प्रतिवादियों ने तर्क दिया कि विज्ञापन के बाद आवेदन प्राप्त होने पर मानदंडों में बदलाव किया गया था। इसके परिणामस्वरूप, कई योग्य और प्रतिभाशाली उम्मीदवारों ने आवेदन नहीं किया होगा और कई गैर-मान्यता प्राप्त कॉलेजों के छात्रों का चयन हो गया होगा। इसके अलावा, चयन बोर्ड के पास प्रमाणपत्रों की प्रामाणिकता या विश्वविद्यालयों की मान्यता की जाँच करने का कोई तंत्र नहीं था।

10.3. चयनित उम्मीदवारों में से कुछ ने साक्षात्कार के समय बी. फार्मा या एम. फार्मा की मूल मार्कशीट प्रस्तुत नहीं की और कुछ ने तो जन्म प्रमाण पत्र भी प्रस्तुत नहीं किया। यह विज्ञापन में निर्धारित शर्तों के विपरीत था, क्योंकि विज्ञापन के अनुसार, उम्मीदवारों को साक्षात्कार के समय मूल योग्यता प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने थे और जो उम्मीदवार इन्हें प्रस्तुत करने में विफल रहता, उसे लिखित या मौखिक परीक्षा में बैठने की अनुमति नहीं दी जाती।

10.4. यह तर्क दिया गया कि चयन समिति द्वारा अपनाई गई मनमानी और लापरवाही से प्रक्रिया दूषित थी। इसका प्रमाण इस तथ्य से मिलता है कि कुछ उम्मीदवारों को उनकी एम. फार्मा डिग्री के लिए अंक नहीं दिए गए थे और उन्हें बाद में बोर्ड से संपर्क करना पड़ा। चयनित 11 उम्मीदवारों को 20 में से 20 अंक और तीन उम्मीदवारों को 20 में से 19 अंक दिए गए थे। इस प्रकार, चयनित उम्मीदवारों में से लगभग 20% को मौखिक परीक्षा में असामान्य रूप से अधिक अंक दिए गए थे, जिससे उनका चयन सुगम हुआ।

10.5. यह तर्क दिया गया कि चयन प्रक्रिया में भाग लेने वाले उम्मीदवारों को चयन को चुनौती देने का कोई पूर्ण निषेध नहीं था। इस मामले में, उच्च न्यायालय के समक्ष याचिकाकर्ताओं को चयन प्रक्रिया में भाग लेने के समय यह जानकारी नहीं थी कि चयन समिति त्रुटिपूर्ण थी, और न ही उन्हें चयन सूची प्रकाशित होने तक यह जानकारी थी कि कई चयनित उम्मीदवारों ने साक्षात्कार के समय अपनी योग्यता के मूल प्रमाण पत्र या जन्म प्रमाण पत्र प्रस्तुत नहीं किए थे। यहां तक

कि चयन बोर्ड के पास भी प्रस्तुत प्रमाण पत्रों की सत्यता सत्यापित करने की सुविधा नहीं थी।

10.6. प्रतिवादियों के विद्वान वकील ने सचिव, राज्य कर्नाटक बनाम उमादेवी (2006) 4 एससीसी 1 का हवाला देते हुए तर्क दिया कि यदि याचिकाकर्ताओं का प्रारंभिक चयन अवैध और त्रुटिपूर्ण माना गया था, तो वे इस आधार पर अपनी नियुक्ति का संरक्षण नहीं मांग सकते कि वे वर्षों से कार्यरत थे।

10.7. प्रतिवादियों के विद्वान वकील ने यह कहते हुए अपनी दलीलें समाप्त कीं कि ड्रग इंस्पेक्टरों की कुल स्वीकृत संख्या 84 है और कुल संख्या में से 65 वर्तमान में कार्यरत हैं। वास्तव में, 65 इंस्पेक्टरों में से 4 को पदोन्नत किया गया है, इस प्रकार, वर्तमान में 25 रिक्तियां हैं और केवल 17 उम्मीदवार इस न्यायालय के समक्ष चुनाव लड़ रहे हैं और उच्च न्यायालय के समक्ष अन्य सभी याचिकाकर्ताओं ने इस मामले में भाग नहीं लिया है, भले ही इस न्यायालय द्वारा सामान्य तरीके से और समाचार पत्रों में प्रकाशन के माध्यम से नोटिस जारी किया गया था। इस प्रकार, सभी याचिकाकर्ताओं को रिक्त पदों पर समायोजित और नियुक्त किया जा सकता है।

उपरोक्त दलीलों के साथ, यह प्रार्थना की गई कि उच्च न्यायालय के विवादित निर्णयों की पुष्टि की जाए और वर्तमान अपीलों को योग्यताहीन होने के कारण खारिज कर दिया जाए।

विचारणीय बिंदु:

11. संबंधित पक्षों के विद्वान वरिष्ठ वकील और विद्वान वकील की दलीलों को ध्यान में रखते हुए, निम्नलिखित बिंदु हमारे विचार के लिए उठेंगे:

i) क्या जम्मू और कश्मीर उच्च न्यायालय, श्रीनगर ने जम्मू और कश्मीर राज्य में ड्रग इंस्पेक्टरों की नियुक्ति के लिए 8 सितंबर, 2009 को आयोजित चयन प्रक्रिया और 12 नवंबर, 2009 को प्रकाशित नियुक्तियों को रद्द करने और निरस्त करने में त्रुटि की?

ii) क्या आदेश?

सार्वजनिक रोजगार के लिए चयन प्रक्रिया: न्यायालयों द्वारा हस्तक्षेप:

12. आगे बढ़ने से पहले, यह आवश्यक है कि हम अपने निर्णय की प्रस्तावना में यह विचार व्यक्त करें कि भारत में न्यायालय सामान्यतः सार्वजनिक रोजगार की चयन प्रक्रिया में हस्तक्षेप करने से बचते हैं,

चयन प्रक्रिया की स्वायत्तता और अखंडता को बनाए रखने के महत्व को पहचानते हुए। न्यायालय यह मानते हैं कि चयन प्रक्रिया में उच्च स्तर की विशेषज्ञता और विवेक शामिल होता है और न्यायालयों के लिए चयन समिति के निर्णय के स्थान पर अपना निर्णय देना उचित नहीं है। चयन बोर्ड के विशेषज्ञों के निर्णयों की समीक्षा करना हमारे लिए वास्तव में जोखिम भरा कार्य होगा।

चयन प्रक्रिया और उसके परिणामों की न्यायिक समीक्षा के दायरे और सीमा से संबंधित कानून को निम्नलिखित केस कानूनों के संदर्भ में समझा जा सकता है:

i) **दलपत अबासाहेब सोलुंके बनाम डॉ. बी.एस. महाजन, ए आई आर**

ई 1990 SC 434 में, इस न्यायालय ने चयन प्रक्रिया की न्यायिक समीक्षा के दायरे को निम्नलिखित शब्दों में स्पष्ट किया:

“यह कहने की आवश्यकता नहीं है कि चयन समितियों के निर्णयों पर अपील सुनना और उम्मीदवारों की योग्यता का मूल्यांकन करना न्यायालय का कार्य नहीं है।

किसी विशेष पद के लिए उम्मीदवार उपयुक्त है या नहीं, इसका निर्णय विधिवत गठित चयन समिति द्वारा किया जाना चाहिए, जिसके पास विषय का ज्ञान हो। न्यायालय के पास ऐसा कोई ज्ञान नहीं है। चयन समिति के निर्णय में केवल सीमित आधारों पर ही हस्तक्षेप किया जा सकता है, जैसे कि समिति के गठन या उसकी प्रक्रिया में अवैधता या स्पष्ट अनियमितता जो चयन को दूषित करती हो, या चयन को प्रभावित करने वाली सिद्ध दुर्भावना आदि...”

ii) इसी प्रकार, **सचिव (स्वास्थ्य) विभाग के मामले में... स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग बनाम डॉ. अनीता पुरी (1996) 6 एससीसी 282** के मामले में, इस न्यायालय ने चयन प्रक्रिया की पवित्रता और उसके परिणामों में हस्तक्षेप किए जाने के आधारों के संबंध में निम्नलिखित अवलोकन किया:

“9. ... यह सर्वविदित है कि जब लोक सेवा आयोग जैसे किसी विशेषज्ञ निकाय द्वारा चयन किया जाता है, जिसे उस क्षेत्र में तकनीकी अनुभव और उच्च शैक्षणिक योग्यता रखने वाले विशेषज्ञों द्वारा सलाह दी जाती है, तो न्यायालयों को विशेषज्ञों

द्वारा व्यक्त की गई राय में हस्तक्षेप करने में सावधानी बरतनी चाहिए, जब तक कि दुर्भावना के आरोप साबित न हो जाएं। न्यायालयों के लिए यह विवेकपूर्ण और सुरक्षित होगा कि वे ऐसे मामलों पर निर्णय विशेषज्ञों पर छोड़ दें, जो न्यायालयों की तुलना में इन समस्याओं से अधिक परिचित हैं। यदि विशेषज्ञ निकाय सभी प्रासंगिक कारकों पर उचित विचार करने के बाद किसी विशिष्ट पद के लिए उम्मीदवार की उपयुक्तता पर विचार करता है, तो न्यायालय को सामान्यतः ऐसे चयन और मूल्यांकन में हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए.....”

iii) इस न्यायालय ने *एम.वी. थिम्मैया बनाम संघ लोक सेवा आयोग, (2008) 2 एससीसी 119* में इस स्थिति को दोहराया,

निम्नलिखित शब्दों में:

“21. अब, उम्मीदवारों के चयन से संबंधित प्रश्न आता है। सामान्यतः, चयन समिति की अनुशंसाओं को दुर्भावना या वैधानिक नियमों के गंभीर उल्लंघन के आधार पर ही चुनौती दी जा सकती है। न्यायालय, अपील न्यायालय की तरह, चयन समिति की अनुशंसाओं की जाँच करने के लिए अपीलीय प्राधिकारी के रूप में कार्य नहीं कर सकते। यह विवेकाधिकार केवल चयन समिति को दिया गया है और न्यायालय शायद ही कभी उम्मीदवारों के चयन की जाँच करने के लिए अपील न्यायालय के रूप में कार्य करते हैं, न ही न्यायालय का कार्य प्रत्येक उम्मीदवार की जाँच करना और अपनी राय दर्ज करना है...

30. हम यह समझने में असफल हैं कि ट्रिब्यूनल कैसे अपीलीय प्राधिकरण के रूप में बैठकर व्यक्तिगत रिकॉर्ड मांग सकता है और इस कार्य के लिए चयन समिति का गठन कर सकता है। यह शक्ति ट्रिब्यूनल को नहीं दी गई है और इसे स्पष्ट रूप से समझा जाना चाहिए कि चयन समिति का मूल्यांकन ट्रिब्यूनल या अदालतों के सामने अपील के अधीन नहीं है। चयन समिति के मूल्यांकन को श्रेय देना चाहिए और यह अपील के अधीन नहीं है। उम्मीदवारों के एसीआर की समग्र समीक्षा करते समय, एक को बहुत अच्छा और दूसरे को अच्छा माना जा सकता है।

यदि इस प्रकार के हस्तक्षेप की अनुमति दी जाती है, तो यह वस्तुतः यह राशि होगी कि ट्रिब्यूनल और उच्च न्यायालय चयन समिति के रूप में बैठने लगे हैं या चयन पर अपीलीय प्राधिकरण

के रूप में कार्य करने लगे हैं। यह उनका क्षेत्र नहीं है, इसे स्पष्ट रूप से समझा जाना चाहिए, जैसा कि इस न्यायालय द्वारा कई निर्णयों में स्पष्ट रूप से कहा गया है...

(iv) *ओम प्रकाश पोपली और राजेश कुमार महेशवारी बनाम दिल्ली स्टॉक एक्सचेंज एसोसिएशन लिमिटेड, (1994) 2 एससीसी 117*, एक ऐसा मामला था जहां इस न्यायालय के समक्ष दिल्ली स्टॉक एक्सचेंज के सदस्यों के चयन को चुनौती देते हुए एक अपील दायर की गई थी, इस आधार पर कि उक्त उद्देश्य के लिए गठित चयन समिति ने मनमाने ढंग से कुछ उम्मीदवारों को सी को पसंद किया और इस प्रकार, अनुच्छेद 14 के खिलाफ था। इस न्यायालय ने निम्नलिखित को मानते हुए पक्षपात और पक्षपात के आरोप को खारिज कर दिया:

5.....यह मामला एक विशेषज्ञ समिति द्वारा सदस्यों के चयन से संबंधित है, जिसमें शैक्षिक योग्यता, अनुभव, वित्तीय पृष्ठभूमि और सार्वजनिक मुद्दों से संबंधित ज्ञान जैसे कारकों के आधार पर एक उद्देश्यपूर्ण मानदंड पर चयन किया गया था। इस मामले में, समिति ने इन कारकों के लिए अंक आवंटित किए थे, जिसमें से केवल 20% अंक साक्षात्कार के लिए आरक्षित थे। इसलिए, विशेषज्ञ समिति की चयन प्रक्रिया पूरी तरह से समिति के सदस्यों की इच्छा पर नहीं छोड़ी गई थी।

12.1. इस प्रकार, यह निष्कर्ष निकाला जा सकता है कि न्यायिक समीक्षा की शक्ति का प्रयोग करते हुए न्यायालयों के अधिकार क्षेत्र में चयन प्रक्रिया के गुण-दोषों की जांच करना नहीं है, यह कार्य चयन समिति का विशेषाधिकार है और उसकी विशेषज्ञता के अंतर्गत आता है, बशर्ते कि यदि कदाचार या वैधानिक नियमों के उल्लंघन के सिद्ध आरोप हों, तो केवल ऐसे मामलों में ही न्यायालय हस्तक्षेप कर सकते हैं जिनमें मनमानी अंतर्निहित हो।

इस प्रकार, न्यायिक समीक्षा की शक्ति का प्रयोग करते हुए न्यायालय चयन समिति का स्थान नहीं ले सकते या यह जांच करने के लिए अपीलीय भूमिका नहीं निभा

सकते कि मौखिक परीक्षा में चयन समिति द्वारा दिए गए अंक अत्यधिक हैं और परीक्षा में उनके प्रदर्शन के अनुरूप नहीं हैं। परीक्षा में उपस्थित होने वाले उम्मीदवारों के प्रदर्शन का आकलन और मूल्यांकन चयन समिति/साक्षात्कार बोर्ड के समक्ष विचार-विमर्श समिति के सदस्यों पर छोड़ देना ही सर्वोत्तम होगा। इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए कि न्यायालय उचित रूप से सही चयन प्रक्रिया के आधार पर लिए गए निर्णय के विरुद्ध अपील नहीं कर सकता, याचिकाकर्ताओं द्वारा उठाए गए निम्नलिखित आधार, जो उम्मीदवारों की उपयुक्तता का आकलन करने में चयन बोर्ड/साक्षात्कार पैनल द्वारा अपनाए गए व्यक्तिपरक मानदंडों पर आधारित हैं, अर्थात्: (i) स्नातकोत्तर कर चुके उम्मीदवारों को 10 अंक दिए गए थे और मौखिक परीक्षा में ऐसे स्नातकोत्तर उम्मीदवारों को 20 में से 18 या 20 अंक दिए गए थे। (ii) यद्यपि याचिकाकर्ताओं ने साक्षात्कार में असाधारण रूप से अच्छा प्रदर्शन किया था, फिर भी अधिकारियों ने चयन प्रक्रिया को मनमाने ढंग से संचालित किया था, ये आधार निराधार हैं।

13. मामले का अगला पहलू जिस पर विचार करने की आवश्यकता है, वह है याचिकाकर्ताओं का यह तर्क कि संपूर्ण चयन प्रक्रिया दूषित थी क्योंकि 5 मई, 2008 के विज्ञापन नोटिस में निर्धारित पात्रता मानदंड सही नहीं थे। 12 जून, 2009 के शुद्धिपत्र के माध्यम से बिना किसी उचित कारण के इसे पुनर्संरचित किया गया। इस तर्क पर विचार करने के लिए, निम्नलिखित केस लॉ पर ध्यान दिया जा सकता है:

i) **मनीष कुमार शाही बनाम बिहार राज्य (2010) 12 एससीसी 576** मामले में, इस न्यायालय ने स्पष्ट रूप से कहा कि चयन प्रक्रिया में बिना किसी विरोध के भाग लेने के बाद, असफल उम्मीदवार के लिए बाद में चयन मानदंडों को चुनौती देना उचित नहीं होगा।

ii) **रमेश चंद्र शाह बनाम अनिल जोशी (2013) 11 एससीसी 309** मामले में, फिजियोथेरेपिस्ट के पद पर नियुक्ति के लिए आवेदन आमंत्रित करते हुए एक विज्ञापन जारी किया गया था। लिखित परीक्षा में असफल रहे उम्मीदवारों ने एक रिट याचिका दायर कर विज्ञापन और चयन प्रक्रिया को रद्द करने की प्रार्थना की। उन्होंने दलील दी कि विज्ञापन और परीक्षा उत्तर प्रदेश चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार

कल्याण विभाग के फिजियोथेरेपिस्ट एवं व्यावसायिक चिकित्सक सेवा नियम, 1998 के प्रावधानों के विरुद्ध थे। छूट और एस्टोपेल के सिद्धांत पर कई निर्णयों का हवाला देते हुए, इस न्यायालय ने इस चुनौती को स्वीकार नहीं किया क्योंकि चयन प्रक्रिया में भाग लेने के बाद यह स्वीकार्य नहीं होगी। इस न्यायालय की प्रासंगिक टिप्पणियाँ इस प्रकार हैं:

“24. उपर्युक्त निर्णयों में प्रतिपादित प्रस्तावों के मद्देनजर, यह माना जाना चाहिए कि चयन प्रक्रिया में भाग लेकर, यह जानते हुए कि भर्ती सामान्य नियमों के तहत की जा रही थी, प्रतिवादियों ने विज्ञापन या बोर्ड द्वारा चयन के लिए अपनाई गई पद्धति पर प्रश्न उठाने के अपने अधिकार को त्याग दिया था और उच्च न्यायालय के विद्वान एकल न्यायाधीश और खंडपीठ ने प्रतिवादियों द्वारा की गई शिकायत पर विचार करके गंभीर त्रुटि की है।”

iii) इसी प्रकार, **अशोक कुमार बनाम बिहार राज्य, (2017) 4 एससीसी 357** में, एक सिविल न्यायालय के चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारियों में से तृतीय श्रेणी के पदों पर पदोन्नति के लिए एक प्रक्रिया शुरू की गई थी। उक्त मामले में, चयन लिखित परीक्षा और साक्षात्कार के आधार पर किया जाना था, जिसके लिए मानदंडों के अनुसार क्रमशः 85% और 15% अंक निर्धारित थे। लिखित परीक्षा में उपस्थित 27 (सत्ताईस) उम्मीदवारों में से 14 (चौदह) उत्तीर्ण हुए। उनका साक्षात्कार लिया गया। समिति ने योग्यता के आधार पर उम्मीदवारों का चयन किया और एक सूची तैयार की। उच्च न्यायालय ने इस आधार पर चयन सूची को अस्वीकार कर दिया कि लिखित परीक्षा और साक्षात्कार के लिए पूर्ण अंकों का अनुपात 90:10 होना चाहिए था और लिखित परीक्षा में उत्तीर्ण अंक 45 होने चाहिए थे। इसके बाद एक नई प्रक्रिया शुरू की गई जिसमें एक लिखित परीक्षा (पूर्ण अंक - 90 और उत्तीर्ण अंक - 45) और एक साक्षात्कार (10 अंक का) शामिल था। उम्मीदवारों के प्रदर्शन के आधार पर परिणाम घोषित किए गए और 6 (छह) व्यक्तियों को श्रेणी तृतीय पदों पर नियुक्त किया गया। इसके बाद अपीलकर्ताओं ने अन्य 4 (चार) असफल उम्मीदवारों के साथ मिलकर उच्च न्यायालय में एक रिट याचिका दायर कर प्रारंभिक चयन सूची को मंजूरी देने से इनकार करने के उच्च न्यायालय के प्रशासनिक आदेश को चुनौती दी। मुख्य आधार यह था कि नियुक्ति प्रक्रिया त्रुटिपूर्ण थी, क्योंकि

संबंधित नियमों के अनुसार लिखित परीक्षा 85 अंकों की और साक्षात्कार 15 अंकों का होना चाहिए था। इस न्यायालय ने अपीलें इस आधार पर खारिज कर दीं कि नए चयन प्रक्रिया के दौरान अपीलकर्ताओं को स्पष्ट रूप से सूचित कर दिया गया था कि लिखित परीक्षा 90 अंकों की और साक्षात्कार 10 अंकों का होगा। न्यायालय का मत था कि अपीलकर्ताओं ने बिना किसी आपत्ति के चयन प्रक्रिया में भाग लिया था और बाद में असफल पाए गए, इसलिए उनकी ओर से प्रक्रिया को चुनौती देना वर्जित था। प्रासंगिक टिप्पणियाँ इस प्रकार हैं:

“13. इस विषय पर कानून इस न्यायालय के कई निर्णयों में स्पष्ट किया गया है। चंद्र प्रकाश तिवारी बनाम शकुंतला शुक्ला मामले में, इस न्यायालय ने यह सिद्धांत प्रतिपादित किया कि जब कोई उम्मीदवार बिना किसी आपत्ति के परीक्षा में उपस्थित होता है और बाद में असफल पाया जाता है, तो प्रक्रिया को चुनौती देना वर्जित है। जहां कोई उम्मीदवार परीक्षा में उपस्थित होकर भाग ले चुका है, वहां परीक्षा को चुनौती देने वाली याचिका पर विचार करने का प्रश्न ही नहीं उठता। वह बाद में पलटकर यह तर्क नहीं दे सकता कि प्रक्रिया अनुचित थी या उसमें कोई खामी थी, केवल इसलिए कि परिणाम संतोषजनक नहीं है। भारत संघ बनाम एस. विनोद कुमार (2007) 8 एससीसी 100 में, इस न्यायालय ने कहा कि: “18. यह भी सर्वविदित है कि वे उम्मीदवार जिन्होंने चयन प्रक्रिया में निर्धारित प्रक्रिया को भली-भांति जानते हुए भाग लिया था, उसे चुनौती देने के हकदार नहीं थे (देखें मुनिंद्रा कुमार बनाम राजीव गोविल (1991) 3 एससीसी 368 और रश्मि मिश्रा बनाम मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग (2006) 12 एससीसी 724)।

13.1. अतः यह सर्वविदित है कि जो उम्मीदवार बिना किसी आपत्ति या विरोध के चयन प्रक्रिया में भाग ले चुके हैं, वे असफल घोषित होने के बाद उसे चुनौती नहीं दे सकते। उम्मीदवार एक ही समय में स्वीकृति और अस्वीकृति दोनों नहीं कर सकते। दूसरे शब्दों में, केवल इसलिए कि चयन प्रक्रिया का परिणाम किसी उम्मीदवार को स्वीकार्य नहीं है, वह यह आरोप नहीं लगा सकता कि साक्षात्कार प्रक्रिया अनुचित थी या प्रक्रिया में कोई खामी थी। इसलिए, हम पाते हैं कि इन मामलों में याचिकाकर्ता किसी न्यायालय के समक्ष चयन मानदंडों को पुनर्निर्धारित करने के औचित्य पर प्रश्न नहीं उठा सकते थे, क्योंकि उन्होंने मानदंडों के पुनर्निर्धारित होने के बाद भी स्वेच्छा से चयन प्रक्रिया में भाग लिया था। उनकी उम्मीदवारी वापस नहीं ली गई

थी। संशोधित मानदंडों के आलोक में। चयन प्रक्रिया में असफल घोषित होने के बाद ही इसके विरुद्ध चुनौती दी गई, जिस चरण में चुनौती दी जानी चाहिए थी। छूट और सहमति के सिद्धांत के आलोक में इस पर विचार नहीं किया जाना चाहिए था।

13.2. इस न्यायालय ने *सदानंद हालो* मामले में यह उल्लेख किया है कि छूट के नियम का एकमात्र अपवाद चयन बोर्ड की ओर से दुर्भावना का अस्तित्व है। वर्तमान मामले में, हम चयन प्रक्रिया में किसी भी प्रकार की दुर्भावना या मनमानी नहीं पाते हैं और इसलिए उक्त अपवाद लागू नहीं किया जा सकता है।

संपूर्ण चयन प्रक्रिया रद्द करना: क्या यह उचित है?

14. वर्तमान मामले में, अपीलकर्ताओं का संपूर्ण चयन उच्च न्यायालय द्वारा मुख्य रूप से व्यक्तिगत पुरस्कार रोल या व्यक्तिगत रूप से अंक प्रदान करने वाली मार्कशीट की अनुपलब्धता के आधार पर रद्द कर दिया गया है। क्या ऐसी अनियमितता संपूर्ण चयन प्रक्रिया को अमान्य कर देगी और उसे निरर्थक बना देगी, यह मामले का अगला पहलू है जिस पर विचार करने की आवश्यकता है।

14.1. *कुमारी अनामिका मिश्रा बनाम उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग, इलाहाबाद, ए ई आर 1990 एस सी 461* मामले में इस न्यायालय की तीन न्यायाधीशों की पीठ का निर्णय उत्तर प्रदेश राज्य की शैक्षिक सेवाओं में विभिन्न पदों पर भर्ती से संबंधित था। भर्ती प्रक्रिया दो चरणों में हुई थी, जिसमें एक लिखित परीक्षा और एक साक्षात्कार शामिल था। यह पाया गया कि लिखित परीक्षा के बाद, कंप्यूटर में डेटा की गलत फीडिंग के कारण,

कंप्यूटर में बेहतर प्रदर्शन करने वाले कुछ उम्मीदवारों को साक्षात्कार के लिए नहीं बुलाया गया और कम अंक प्राप्त करने वाले उम्मीदवारों को न केवल साक्षात्कार के लिए बुलाया गया बल्कि अंततः उनका चयन भी हो गया। लोक सेवा आयोग ने पूरी प्रक्रिया रद्द कर दी। उक्त संदर्भ में, इस न्यायालय ने निम्नलिखित टिप्पणी की:

“4. हमने दोनों पक्षों के अधिवक्ताओं की बात सुनी है और हमारा यह मत है कि जब लिखित परीक्षा के संबंध में कोई दोष नहीं बताया गया और एकमात्र आपत्ति लिखित परीक्षा में सफल उम्मीदवारों के एक समूह को साक्षात्कार से बाहर रखने तक सीमित थी, तो भर्ती परीक्षा के लिखित भाग को रद्द करने का कोई औचित्य नहीं था।”

उपरोक्त मामला ऐसी स्थिति का प्रतिनिधि है जहां संपूर्ण भर्ती प्रक्रिया को रद्द करना उचित नहीं माना गया क्योंकि लिखित परीक्षा में कोई प्रणालीगत त्रुटि नहीं थी, और मुद्दा केवल साक्षात्कार में उम्मीदवारों को अंक देने से संबंधित था। यदि मामला ऐसा करने की आवश्यकता होती, तो साक्षात्कार चरण के बाद किए गए चयन को रद्द करके और सभी पात्र उम्मीदवारों का नया साक्षात्कार बुलाकर स्थिति को सुधारा जा सकता था, जो कि इस मामले में भी नहीं है।

14.2. मोहिंदर सैन गर्ग बनाम पंजाब राज्य, (1991) 1

एससीसी 662 में, 54 पदों को भरने के लिए 1200 उम्मीदवारों को साक्षात्कार के लिए बुलाया गया था। यद्यपि यह उचित प्रक्रिया के अंतर्गत नहीं अपनाया गया था, फिर भी यह माना गया कि इससे चयन प्रक्रिया अमान्य नहीं होगी, विशेषकर तब जब यह दुर्भावना या बुरे इरादे से प्रेरित न हो।

14.3. राजेश पी.यू. मामले में इस न्यायालय की टिप्पणियाँ इस प्रश्न के संबंध में अत्यंत शिक्षाप्रद हैं कि क्या किसी विशेष मामले में संपूर्ण चयन प्रक्रिया को रद्द करना अत्यधिक या असंगत उपाय होगा। उक्त मामले में इस न्यायालय के प्रासंगिक निष्कर्ष इस प्रकार हैं:

“...चयन प्रक्रिया को पूरी तरह से रद्द करने के लिए एकतरफा कठोर और मनमाना मानक लागू करना, इस पुख्ता और सकारात्मक जानकारी के बावजूद कि चयनित उम्मीदवारों में से 31 को छोड़कर अन्य में कोई खामी नहीं पाई गई, प्रासंगिकताओं की पूर्ण अवहेलना और अप्रासंगिकताओं से प्रभावित होना है। यह प्रासंगिक विचारों को पूरी तरह से नजरअंदाज करते हुए, स्थिति के अनुरूप उचित और तर्कसंगत रूप से जो होना चाहिए था, उससे कहीं अधिक आगे बढ़कर आनुपातिकता के सिद्धांत को ताक पर रख देता है। संक्षेप में, सक्षम प्राधिकारी ने संपूर्ण चयन प्रक्रिया को रद्द करने का ऐसा चरम और अतार्किक निर्णय लेकर पूरी तरह से गलत दिशा में कदम उठाया है, जो कि तथ्यात्मक स्थिति के आधार पर भी पूरी तरह से अनुचित और अनावश्यक है,

और दांव पर लगे मामले की प्रकृति और गंभीरता से कहीं अधिक है, जिससे यह निर्णय वस्तुतः तर्कहीन हो जाता है।”

14.4. वर्तमान मामले में, बोर्ड के सदस्यों द्वारा अंतिम चयन सूची पर हस्ताक्षर किए जाने के बावजूद, व्यक्तिगत पुरस्कार सूचियों की अनुपलब्धता के कारण अपीलकर्ताओं का संपूर्ण चयन रद्द कर दिया गया। संपूर्ण चयन प्रक्रिया को रद्द करना अनुचित था या उचित, यह अपनाई गई चयन प्रक्रिया पर निर्भर करेगा और यह भी कि क्या यह प्रक्रिया मनमानी थी या चयन बोर्ड की ओर से किसी दुर्भावना को दर्शाती थी।

14.5. इस मामले में अपनाई गई चयन प्रक्रिया का सारांश इस प्रकार है:

i) चयन प्रक्रिया जम्मू और कश्मीर सरकार के सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा बनाए गए 1992 के नियमों द्वारा संचालित थी।

उक्त नियमों के नियम 9 (i) में यह प्रावधान था कि बोर्ड का अध्यक्ष राज्य कैडर में नियुक्ति के लिए उम्मीदवारों के चयन हेतु साक्षात्कार आयोजित करने के लिए बोर्ड के “एक या अधिक सदस्यों” की एक समिति मनोनीत कर सकता है।

नियम 9 (iii) के तहत, यदि अध्यक्ष आवश्यक समझे तो चयन समिति के साथ उस विषय के विशेषज्ञ/विशेषज्ञ को जोड़ सकता है जिसमें भर्ती की जानी है। नियम 9 के पहले परंतुक में यह प्रावधान है कि उक्त समिति द्वारा किए गए चयन को नियुक्ति प्राधिकारी को भेजने से पहले बोर्ड द्वारा अनुमोदित किया जाएगा।

बेहतर समझ के लिए, 1992 के नियमों के नियम 9 और 9ए को नीचे उद्धृत किया गया है:

9. समितियों का नामांकन:

(i) अध्यक्ष, बोर्ड के एक या अधिक सदस्यों वाली एक समिति का नामांकन कर सकता है, जो राज्य कैडर में नियुक्त किए जाने वाले उम्मीदवारों के चयन हेतु परीक्षा आयोजित करने और साक्षात्कार एवं परीक्षण करने के लिए कार्य करेगी।

(ii) ऐसी प्रत्येक समिति की अध्यक्षता अध्यक्ष करेगा, और यदि अध्यक्ष समिति का सदस्य नहीं है, तो अध्यक्ष द्वारा नामित किसी सदस्य की अध्यक्षता करेगा।

(iii) अध्यक्ष, यदि आवश्यक समझे, तो चयन समिति के साथ उस विषय के विशेषज्ञ/विशेषज्ञ को नियुक्त कर सकता है जिसमें भर्ती की जानी है।

(iv) अध्यक्ष, मंडल एवं जिला कैडर में नियुक्त किए जाने वाले उम्मीदवारों के चयन हेतु परीक्षा, साक्षात्कार एवं परीक्षण आयोजित करने के लिए कम से कम तीन व्यक्तियों की एक समिति का नामांकन कर सकता है;

बशर्ते कि उक्त समिति की अध्यक्षता अध्यक्ष द्वारा नामित बोर्ड के किसी सदस्य द्वारा की जाएगी, और समिति के अन्य सदस्यों का नामांकन अध्यक्ष द्वारा समय-समय पर बोर्ड द्वारा इस संबंध में तैयार और अनुमोदित नामों की सूची में से किया जाएगा। उक्त समिति द्वारा किया गया चयन मान्य होगा। नियुक्ति प्राधिकारी को भेजे जाने से पहले बोर्ड द्वारा अनुमोदित किया जाना आवश्यक है।

इसके अतिरिक्त, जिला कैडर के अंतर्गत आने वाले पदों के चयन के संबंध में, जिस विषय में चयन किया जाना है, उस विषय के जिला अधिकारी को भी उक्त समिति में सदस्य के रूप में स्वीकार किया जा सकता है।

इसके अतिरिक्त, बोर्ड के अध्यक्ष वर्ष 1995-96 के लिए एक बार के अपवाद के रूप में, पटवारियों के चयन हेतु प्रत्येक जिले के लिए जिला स्तरीय चयन समितियों का गठन कर सकते हैं, जिसमें उपायुक्त संयोजक/अध्यक्ष होंगे।

9-ए. इन नियमों में किसी भी बात के होते हुए भी, सरकार किसी विशेष रोजगार अभियान के लिए अध्यक्ष को राज्य/मंडल/जिला कैडर पदों पर नियुक्ति के लिए उम्मीदवारों के चयन हेतु परीक्षा/परीक्षण आयोजित करने और साक्षात्कार लेने या दोनों के लिए, जैसा भी मामला हो, निम्नलिखित समितियों का गठन करने के लिए अधिकृत कर सकती है:

I. राज्य कैडर पद

1. अध्यक्ष या अध्यक्ष द्वारा मनोनीत बोर्ड का कोई अन्य सदस्य।
2. संबंधित विभाग का प्रमुख या संबंधित प्रशासनिक विभाग का सचिव।
3. अध्यक्ष द्वारा मनोनीत कोई अन्य अधिकारी।

II. मंडल कैडर पद

1. अध्यक्ष द्वारा मनोनीत बोर्ड का सदस्य, जो समिति का संयोजक होगा।

2. संबंधित मंडल का अतिरिक्त आयुक्त।
3. भर्ती करने वाले विभाग का प्रमुख।
4. समिति की अध्यक्षता करने वाले बोर्ड के सदस्य द्वारा मनोनीत कोई अन्य व्यक्ति।

III. जिला कैडर पद

1. अध्यक्ष द्वारा मनोनीत बोर्ड का सदस्य, जो समिति का संयोजक होगा।
2. जिले का जिला रोजगार अधिकारी।
3. भर्ती करने वाले कार्यालय/विभाग का जिला प्रमुख।
4. समिति की अध्यक्षता करने वाले बोर्ड के सदस्य द्वारा मनोनीत कोई अन्य व्यक्ति।

बशर्ते कि:-

(क) यदि अध्यक्ष आवश्यक समझे तो राज्य कैडर पद के संबंध में जिस विषय में नियुक्ति की जानी है, उस विषय के विशेषज्ञ को सह-विकल्पित कर सकता है;

(ख) संभागीय स्तर की चयन समिति/जिला स्तर की चयन समिति की अध्यक्षता करने वाला सदस्य, यदि आवश्यक समझे तो, उस विषय के विशेषज्ञ को सह-विकल्पित कर सकता है जिसमें संभागीय/जिला कैडर पदों के लिए भर्ती की जानी है;

(ग) उपरोक्त समितियों की अध्यक्षता बोर्ड के अध्यक्ष/सदस्य करेंगे;

(घ) विशेष परिस्थितियों में, बोर्ड उपरोक्त समिति/समितियों को चयन सूची नियुक्ति प्राधिकारी को भेजने के लिए अधिकृत कर सकता है और यह कार्रवाई बोर्ड की स्वीकृति मानी जाएगी;

(ङ) जिला रोजगार अधिकारी जिला कैडर पदों के लिए आवेदन प्राप्त करने, संकलित करने और संक्षिप्त सूची बनाने के लिए उत्तरदायी होंगे;

- ii) जून 2009 में, बोर्ड के अध्यक्ष द्वारा गठित तीन सदस्यीय चयन समिति ने साक्षात्कार आयोजित किए।

इस समिति में बोर्ड की अध्यक्ष, सुश्री सलमा हामिद और डॉ. समीना फरहत शामिल थीं। इसके बाद, उक्त चयन समिति द्वारा मौखिक परीक्षा/साक्षात्कार में दिए गए अंक और शैक्षणिक योग्यताओं के लिए दिए गए अंक सभी उम्मीदवारों के लिए अंतिम पुरस्कार सूची के रूप में सारणीबद्ध किए गए। अंतिम पुरस्कार सूची बोर्ड द्वारा उच्च न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत की गई थी और याचिकाकर्ताओं ने इसे आरटीआई के माध्यम से भी प्राप्त किया था।

- iii) 7 सितंबर, 2009 को बोर्ड ने चयन समिति द्वारा तैयार की गई चयन सूची को मंजूरी दी। अंतिम चयन सूची वाले अनुमोदन पत्र पर बोर्ड के सभी सात सदस्यों ने हस्ताक्षर किए। इन सात सदस्यों में से दो चयन समिति के सदस्य थे, साथ ही एक विषय विशेषज्ञ भी थे जिन्हें नियम 9(iii) के तहत नियुक्त किया गया था। चयन सूची तैयार करने की प्रक्रिया इस प्रकार थी:

अल्पसूचीबद्ध उम्मीदवारों के साक्षात्कार 1:5 के अनुपात में आयोजित किए गए।

साक्षात्कार पूर्ण होने पर, प्रत्येक सदस्य ने पुरस्कार को एक लिफाफे में सील कर दिया और आगे की प्रक्रिया के लिए संयोजक के माध्यम से बोर्ड को सौंप दिया।

चयन प्रक्रिया शुरू होने के समय, संयोजक और समिति के सदस्यों के सीलबंद लिफाफे खोले गए और साक्षात्कार में प्राप्त अंकों की गणना और योग के लिए कंप्यूटर में दर्ज किए गए, जिसमें शैक्षणिक अंकों का भार निर्धारित मानदंडों के अनुसार जोड़ा गया।

साक्षात्कार में प्राप्त पुरस्कारों और शैक्षणिक योग्यता में संशोधन से संबंधित बुनियादी डेटा को संकलन हेतु पेन ड्राइव के माध्यम से प्राप्त किया गया था और इसे स्वयं अध्यक्ष द्वारा कंप्यूटर में दर्ज किया गया था, जिसकी जाँच बोर्ड के एक अन्य सदस्य द्वारा की गई थी।

चयन प्रक्रिया के संपूर्ण रिकॉर्ड का बोर्ड द्वारा अवलोकन किया गया और तदनुसार उसे अनुमोदित किया गया।

शैक्षणिक योग्यता के लिए आवंटित कुल अंकों के साथ-साथ साक्षात्कार में प्राप्त अंकों के आधार पर चयन सूची तैयार की गई थी।

14.6. अपनाई गई प्रासंगिक चयन प्रक्रिया के आलोक में, हम यह मानने में असमर्थ हैं कि यह प्रक्रिया यांत्रिक या आकस्मिक थी या इसमें इतनी गंभीर या मनमानी अनियमितताएँ थीं कि संपूर्ण चयन प्रक्रिया को रद्द करना उचित ठहराया जा सके। इसके अलावा, हम चयन बोर्ड के सदस्यों द्वारा व्यक्तिगत रोल पर हस्ताक्षर और सत्यापन की आवश्यकता को किसी कानून या नियम में नहीं पाते हैं। इसलिए, हम उच्च न्यायालय के इस निष्कर्ष को स्वीकार नहीं कर सकते कि संपूर्ण चयन प्रक्रिया ऐसी अनियमितता से दूषित थी। उच्च न्यायालय द्वारा संपूर्ण चयन प्रक्रिया को रद्द करना उचित नहीं था, विशेषकर तब जब अपीलकर्ताओं सहित चौंसठ उम्मीदवार उक्त पद पर एक दशक से अधिक समय से कार्यरत थे।

इस संबंध में **त्रिवेदी हिमांशु घनश्यामभाई** के मामले का हवाला दिया जा सकता है, जिसमें यह माना गया था कि केवल इसलिए कि अभिलेख खो जाने और अनुपलब्ध होने के कारण प्रस्तुत नहीं किए जा सके, नियुक्ति रद्द नहीं की जा सकती।

15. चुनौती का अगला पहलू चयन बोर्ड में विशेषज्ञ, डॉ. समीना फरहत, सहायक प्रोफेसर, फार्माकोलॉजी विभाग की योग्यता से संबंधित है। विशेषज्ञ पेशे से डॉक्टर थीं और उनके पास फार्माकोलॉजी में स्नातकोत्तर डिग्री (एमडी) और पीएचडी थी। 1992 के नियमों का नियम 9ए यह प्रावधान करता है कि अध्यक्ष यदि आवश्यक समझे तो

नियुक्ति के विषय में विशेषज्ञ को चयन बोर्ड के सदस्य के रूप में नियुक्त कर सकता है। वर्तमान मामले में, याचिकाकर्ताओं का तर्क है कि फार्मेसी के क्षेत्र में योग्यता रखने वाला व्यक्ति पैनल के लिए अधिक उपयुक्त होता। इस तर्क में कोई योग्यता है या नहीं, यह विचार करने के लिए,

'फार्माकी' के साथ 'फार्माकोलॉजी' के अर्थ पर चर्चा करना आवश्यक है।

15.1. पी. रामनाथ अय्यर के एडवांस्ड लॉ लेक्सिकॉन, छठा संस्करण, खंड के अनुसार... 3. 'फार्माकोलॉजी' को "दवाओं का अध्ययन" के रूप में परिभाषित किया गया है।

इसका उपयोग साक्ष्य के रूप में प्रस्तुत दवाओं के विश्लेषण और पहचान में किया जाता है।

'फार्मसी' को "ज्ञान या व्यापार की एक शाखा; दवाओं की तैयारी और वितरण" के रूप में परिभाषित किया गया है।

ऑक्सफोर्ड कॉन्साइज़ मेडिकल डिक्शनरी, 7वें संस्करण के अनुसार, फार्माकोलॉजी दवाओं के गुणों और शरीर पर उनके प्रभावों का विज्ञान है। दूसरी ओर, फार्मसी दवाओं की तैयारी और वितरण है। यह एक फार्मासिस्ट को ऐसे व्यक्ति के रूप में परिभाषित करता है जो परीक्षा उत्तीर्ण कर पंजीकृत हो और दवाओं का वितरण करने या दवाओं की बिक्री और वितरण के लिए दुकान खोलने के लिए अधिकृत हो।

15.2. उपरोक्त परिभाषाओं पर विचार करने से निम्नलिखित निष्कर्ष निकलते हैं:

i) फार्माकोलॉजी का विज्ञान और फार्मसी का अभ्यास दोनों रासायनिक पदार्थों के अध्ययन और वे शरीर के कार्यों को कैसे प्रभावित करते हैं, से संबंधित हैं।

16. इस न्यायालय ने चयन प्रक्रिया के भाग के रूप में साक्षात्कार आयोजित करने की वैधता को बरकरार रखा है, भले ही इसके लिए निर्धारित अंक प्रथम दृष्टया अत्यधिक पाए गए हों, देखें *माइनर ए. पीरियाकरुप्पन आदि बनाम तमिलनाडु राज्य, (1971) 1 एससीसी 38; मिस निशी माघु बनाम जम्मू और कश्मीर राज्य, (1980) 4 एससीसी 95.*

16.1. इस न्यायालय ने *लीला धर बनाम राजस्थान राज्य, AIR 1981 SC 1777* मामले में चयन प्रक्रिया में मौखिक परीक्षा या साक्षात्कार के महत्व के संबंध में निम्नलिखित प्रासंगिक टिप्पणियाँ कीं:

"यह सर्वविदित है कि जहाँ लिखित परीक्षा किसी उम्मीदवार के ज्ञान और बौद्धिक क्षमता का आकलन करती है, वहीं

साक्षात्कार परीक्षा किसी उम्मीदवार के समग्र बौद्धिक और व्यक्तिगत गुणों का आकलन करने के लिए मूल्यवान है। यद्यपि लिखित परीक्षा के साक्षात्कार परीक्षा पर कुछ विशिष्ट लाभ हैं, फिर भी ऐसी कोई लिखित परीक्षा नहीं है जो किसी उम्मीदवार की पहल, सतर्कता, संसाधनशीलता, विश्वसनीयता, सहयोगिता, स्पष्ट और तार्किक प्रस्तुति की क्षमता, चर्चा में प्रभावशीलता, दूसरों से मिलने और व्यवहार करने में प्रभावशीलता, अनुकूलनशीलता, निर्णय लेने की क्षमता, नेतृत्व करने की क्षमता, बौद्धिक और नैतिक अखंडता का मूल्यांकन कर सके। इनमें से कुछ गुणों का मूल्यांकन साक्षात्कार परीक्षा द्वारा किया जा सकता है, संभवतः कुछ हद तक त्रुटि के साथ, जो काफी हद तक साक्षात्कार बोर्ड के गठन पर निर्भर करता है।”

16.2. साक्षात्कार में किसी उम्मीदवार के प्रदर्शन के मूल्यांकन के मानदंड विविध हो सकते हैं और उनमें से कुछ व्यक्तिपरक हो सकते हैं। हालांकि, बिना किसी आपत्ति या विरोध के साक्षात्कार प्रक्रिया में शामिल होने के बाद, इसे बाद में केवल इस आधार पर चुनौती नहीं दी जा सकती कि उम्मीदवार द्वारा अपने प्रदर्शन का व्यक्तिगत मूल्यांकन पैनल द्वारा दिए गए अंकों से अधिक था।

इस मामले में, ऊपर उल्लिखित अंकों का विवरण निम्नानुसार दोहराया गया है:

दिनांक 05 मई, 2008 की विज्ञापन अधिसूचना के अनुसार मापदंड ।	दिनांक 12 जून, 2009 के शुद्धिपत्र के अनुसार संशोधित मापदंड
01. फार्मसी में डिग्री (बी. फार्मसी = 55 अंक) या	01. फार्मसी में डिग्री (बी. फार्मसी = 65 अंक) या
02. फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री में डिग्री या	02. फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री में डिग्री = 65 अंक या

<p>03. केमिस्ट्री में स्नातकोत्तर (पीजी) जिसमें फार्मास्यूटिकल विशेष विषय के रूप में = 55 अंक या</p>	<p>03. केमिस्ट्री में स्नातकोत्तर (पीजी) जिसमें फार्मास्यूटिकल विशेष विषय के रूप में = 65 अंक या</p>
---	---

<p>4. इंस्टिट्यूशन ऑफ केमिस्ट्स (इंडिया) का एसोसिएटशिप डिप्लोमा, जिसमें औषधियों के विश्लेषण तथा फार्मास्यूटिकल को विषयों में से एक के रूप में लेकर परीक्षा उत्तीर्ण की हो = 55 अंक या</p>	<p>04. इंस्टिट्यूशन ऑफ केमिस्ट्स (इंडिया) का एसोसिएटशिप डिप्लोमा, जिसमें औषधियों के विश्लेषण तथा फार्मास्यूटिकल को विषयों में से एक के रूप में लेकर परीक्षा उत्तीर्ण की हो = 65 अंक या</p>
<p>05. चिकित्सा या विज्ञान में स्नातक, जिसे इस प्रयोजन हेतु नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से प्राप्त किया गया हो तथा जिसने प्रयोगशाला में कम से कम एक वर्ष का स्नातकोत्तर प्रशिक्षण निम्न में से किसी के अधीन प्राप्त किया हो— (i) अधिनियम के अंतर्गत नियुक्त सरकारी विश्लेषक (ii) रासायनिक परीक्षक (iii) नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा इस प्रयोजन हेतु विशेष रूप से अनुमोदित किसी संस्थान के प्रमुख = 55 अंक</p>	<p>05. चिकित्सा या विज्ञान में स्नातक, जिसे इस प्रयोजन हेतु नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से प्राप्त किया गया हो तथा जिसने प्रयोगशाला में कम से कम एक वर्ष का स्नातकोत्तर प्रशिक्षण निम्न में से किसी के अधीन प्राप्त किया हो— (i) अधिनियम के अंतर्गत नियुक्त सरकारी विश्लेषक (ii) रासायनिक परीक्षक (iii) नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा इस प्रयोजन हेतु विशेष रूप से अनुमोदित किसी संस्थान के प्रमुख = 65 अंक</p>
<p>06. पी.जी. फार्मसी/चिकित्सा = 25 अंक</p>	<p>06. पी.जी. फार्मसी/चिकित्सा/फार्मास्यूटिकल/रसायन विज्ञान = 10 अंक</p>
<p>07. मौखिक परीक्षा (Viva Voce) = 20 अंक</p>	<p>07. पीएच.डी. = 05 अंक (सभी के लिए समान रूप से)</p>
<p>कुल = 100 अंक</p>	<p>08. मौखिक परीक्षा (Viva-Voce) = 20 अंक</p>

साक्षात्कार/मौखिक परीक्षा के लिए 100 में से केवल 20 अंक ही आवंटित किए गए थे। यह कुल अंकों का केवल 20% है, जिसे अत्यधिक अनुपात नहीं कहा जा सकता। इसके अलावा, न्यायालय साक्षात्कार पैनल द्वारा दिए गए अंकों पर निर्णय नहीं दे सकते। यह निर्णय साक्षात्कार पैनल के विवेक और निर्णय पर छोड़ देना ही उचित है। उपरोक्त आधार पर, हमें मौखिक परीक्षा में उपस्थित उम्मीदवारों को अंक दिए जाने के संबंध में याचिकाकर्ताओं के तर्क में कोई दम नहीं लगता। इसके अलावा, कुल अंकों का 80% अंक वस्तुनिष्ठ मानदंडों पर आधारित है, जो व्यक्तिगत उम्मीदवारों की शैक्षणिक योग्यता पर निर्भर करता है।

16.3. इसके अलावा, हमें ऐसा प्रतीत होता है कि 12 जून, 2009 के शुद्धिपत्र के माध्यम से मानदंडों को पुनर्परिभाषित किया गया था, जिसमें फार्मसी या फार्मास्युटिकल रसायन विज्ञान में डिग्री और स्नातकोत्तर डिग्री, पीएचडी आदि जैसी उन्नत योग्यताओं वाले उम्मीदवारों को दिए जाने वाले भार को बढ़ाकर उक्त पदों के लिए आवेदन करने वाले अधिक योग्य व्यक्तियों को प्रोत्साहित किया गया था। मानदंडों का पुनर्परिभाषित होना केवल उम्मीदवारों की संबंधित शैक्षणिक योग्यता के लिए अंकों के आवंटन से संबंधित था। हमारे विचार में, यह चयन प्रक्रिया के मानकों को बनाए रखने के उद्देश्य से किया गया था और इसमें कोई दुर्भावनापूर्ण या कुटिल उद्देश्य नहीं था। उम्मीदवार की योग्यता जितनी अधिक होती थी, उतने ही अधिक अंक दिए जाते थे। दूसरे शब्दों में, शैक्षणिक योग्यता के लिए न्यूनतम अंक 65 थे और यह 80 तक बढ़ सकते थे। उम्मीदवारों की उच्च योग्यताओं को ध्यान में रखते हुए, हम चयन प्रक्रिया में इस आधार पर हस्तक्षेप नहीं कर सकते कि अंकों का निर्धारण एकतरफा रूप से किया गया था। शैक्षणिक योग्यता के आधार पर अंकों का पुनर्वितरण उम्मीदवारों की उच्च योग्यता को मान्यता देने के लिए किया गया था, जिसे मनमाना नहीं कहा जा सकता।

यह स्पष्ट है कि अंकों के पुनर्निर्धारण से असंतुष्ट कोई भी उम्मीदवार या तो अपनी उम्मीदवारी वापस ले लेगा या चयन प्रक्रिया के प्रारंभिक चरण में ही 12 जून, 2009 के शुद्धिपत्र को चुनौती देगा। हालांकि, याचिकाकर्ताओं ने ऐसा नहीं किया। बिना किसी आपत्ति या विरोध के चयन प्रक्रिया में भाग लेने के कारण, याचिकाकर्ता केवल इसलिए चयन प्रक्रिया को दुर्भावनापूर्ण बताकर चुनौती नहीं दे सकते क्योंकि वे असफल रहे।

17. रिट याचिकाओं में विद्वान एकल न्यायाधीश द्वारा जारी निर्देशों में से एक यह था कि सफल उम्मीदवारों को पद पर बनाए रखा जाए, लेकिन साथ ही, उपलब्ध पदों पर नियुक्ति के लिए रिट याचिकाकर्ताओं के मामले पर विचार किया जाए। लेकिन यदि पदों की अनुपलब्धता के कारण रिट याचिकाकर्ताओं को समायोजित करना संभव न हो, तो संपूर्ण चयन प्रक्रिया रद्द कर दी जाए और एक नई चयन समिति का गठन किया जाए जो पहले उपस्थित हुए सभी उम्मीदवारों का नए सिरे से साक्षात्कार करे और एक नई चयन सूची तैयार करे। इसके अलावा, जब तक यह प्रक्रिया पूरी न हो जाए, चयनित उम्मीदवारों को पद पर बनाए रखा जाए। हालांकि, डिवीजन बेंच ने संपूर्ण चयन सूची को रद्द कर दिया और निर्देश दिया कि पहले से की गई नियुक्तियों के बाद उत्पन्न रिक्तियों के विरुद्ध कोई और नियुक्ति नहीं की जा सकती है और पदों का पुनः विज्ञापन करके नए सिरे से चयन किया जाए। परिणामस्वरूप, ड्रग इंस्पेक्टरों का चयन पूर्णतः रद्द कर दिया गया और निर्देश जारी किया गया कि इस प्रक्रिया को छह महीने के भीतर नए सिरे से पूरा किया जाए और तब तक नियुक्त किए गए ड्रग इंस्पेक्टरों के पद पर बने रहें। हम पाते हैं कि विद्वान एकल न्यायाधीश और डिवीजन बेंच दोनों द्वारा जारी किए गए उपरोक्त निर्देश कानून के अनुसार नहीं थे, इसलिए उक्त निर्देशों को रद्द किया जाना चाहिए।

18. उपरोक्त चर्चा के आलोक में, ये अपीलें स्वीकार की जाती हैं। श्रीनगर स्थित जम्मू और कश्मीर उच्च न्यायालय के विद्वान एकल न्यायाधीश का दिनांक 18 दिसंबर 2015 का निर्णय और डिवीजन बेंच द्वारा दिनांक 29 अक्टूबर 2021 को पारित विवादित निर्णय रद्द किए जाते हैं। फलस्वरूप, जम्मू स्थित जम्मू उच्च न्यायालय का दिनांक 6 जुलाई 2017 का निर्णय, जो श्रीनगर स्थित जम्मू और कश्मीर उच्च न्यायालय के विद्वान एकल न्यायाधीश के दिनांक 18 दिसंबर 2015 के आदेश का अनुसरण करता है, भी रद्द किया जाता है।

18.1. जम्मू और कश्मीर राज्य में ड्रग इंस्पेक्टरों की नियुक्ति के लिए 8 सितंबर, 2009 को आयोजित चयन प्रक्रिया में सफल घोषित किए गए उम्मीदवारों और 12 नवंबर, 2009 को प्रकाशित नियुक्तियों को विवादित निर्णय पर रोक के आधार पर

सेवा में बने रहने की अनुमति दी गई थी। रोक आदेश को स्थायी कर दिया गया है।

18.2. सभी लंबित आवेदनों का निपटारा उपरोक्त शर्तों के अनुसार किया जाता है।

खर्च के संबंध में कोई आदेश नहीं।

निधि जैन

अपीलें स्वीकार की गईं।

(सहायता: तमाना, एलसीआरए)

यह अनुवाद (सुधीर), पैनल अनुवादक द्वारा किया गया है